राजस्थान में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति

एक अध्ययन

विजय गोयल

रिसोर्स इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राईट्स, जयपुर

रिसर्च टीम

राकेश तिवाड़ी

नीलगगन शर्मा

देवेश शर्मा

राजेश कुमार दरोगा

सांवरलाल

गोपाल योगी

जगदीश योगी

सुनील योगी

विश्लेषण व रिपोर्ट लेखन

विजय गोयल

बबिता महावर

डेटा एन्ट्री कार्य

नीलगगन शर्मा

देवेश शर्मा

वित्तीय सहयोग

यूनीसेफ, राजस्थान

प्रकाशन

रिसोर्स इन्स्टीट्यू फॉर ह्यूमन राइट्स

प्रकाशन वर्ष

जनवरी, 2011

मुद्रक

कल्पना ऑफसेट, सांगानेर- जयपुर- 7665999933

अनुक्रमणिका

भूमिका	4
अध्ययन का सारांश	5
अध्याय –1– समेकित बाल विकास योजना	8
अध्याय– 2 – अध्ययन की संरचना	14
अध्याय–3 – अध्ययन का विश्लेषण	16
अध्याय– 4 – माताओं के साथ चर्चा	36
निष्कर्ष	48
केस स्टडी	52

भूमिका

राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्राचीन संस्कृति का धनी राजस्थान विकास की दृष्टि से बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है। निर्धनता, निम्न स्वास्थ्य स्तर, कुपोषण, खाद्य एवं रोजगार असुरक्षा आदि ने राज्य को बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। जिला स्तर पर 2002–2005 में घर–घर जाकर किये गये सर्वे के आंकड़ों में दर्शाया गया है कि राज्य में 6 साल तक के 66 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, 90 प्रतिशत में खून की कमी है। राजस्थान में यह अधिक गंभीर है जिसके कारण राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है।

प्रदेश में 37 साल पूर्व शुरू की गयी आई.सी.डी.एस परियोजना के अंतर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों का फैलाव व संरचनात्मक विकास हुआ हैं। गांव में आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिकाओं की स्थानीय स्तर पर नियुक्ति की गयी है जो महिलाओं एवं प्रशासन के बीच एक कड़ी का काम कर रही है।

बच्चों में कुपोषण, निम्न स्वास्थ्य स्तर, अशिक्षा से निपटने के लिए देशभर में एकीकृत बाल विकास परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से देश को विकास की राह में तेजी से बढ़ने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, जिसमें सुधारात्मक उपायों के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा रोजगार, निर्धनता को कम करने व कुपोषण को कम करने के लिए आई.सी.डी.एस. (समेकित बाल विकास योजना) एस.जे.वाए (स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना),एवं मनरेगा (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना) आदि अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहें हैं, परन्तु अपेक्षित परिणाम योजनाओं से प्राप्त नहीं हो पाए हैं। अतः संचालन में रही कमियों व समस्याओं को समझने के लिए एक अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई। इस अध्ययन को आई.सी.डी.एस परियोजना पर केन्द्रित किया गया है। जिसमें यह समझने का प्रयास किया गया हैं कि राज्य में महिला एवं बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ियों के संचालन की क्या स्थिति है।

अपोषण एवं कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए संचालित एकीकृत बाल विकास परियोजना की सीधी एवं अहम भूमिका निश्चित की गयी है। अनुभवों से यह बात समझ में आयी कि प्रदेश में एकीकृत बाल विकास परियोजना अपोषण एवं कुपोषण की स्थिति से निपटने पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। विश्व बैंक (1999) के समीक्षा दल द्वारा किये गये अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता की क्षमता, पूरक आहार की अनियमित सप्लाई, कमजोर निगरानी आदि के कारण आई.सी.डी.एस केवल एक दलिया वितरण केन्द्र भर रह गये हैं अतः इस परियोजना की समीक्षा एवं क्रियान्वयन व लोगों के जुड़ाव के स्तर को समझने हेतु एक अध्ययन की जरूरत महसूस की गयी। यह अध्ययन मुख्य रूप से आई.सी.डी.एस परियोजना पर केन्द्रित है, जिसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि क्रियान्वयन व लोगों के जुड़ाव व फैलाव का स्वरूप क्या है एवं आई.सी.डी.एस परियोजना में सुधारात्मक उपाय के रूप में कितनी कारगर सिद्व हो रही है एवं क्या सीमाएं उभर रही हैं।

यह अध्ययन राज्य के पांच विधानसभा क्षेत्रों में किया गया हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक विकास, गर्भवती व धात्री महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए चल रही आंगनबाड़ियों का अध्ययन करना। गांवों में संचालित आँगनबाड़ी में लाभान्वित बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं की स्थिति का अध्ययन एवं विश्लेषण करना। क्षेत्र के विधायको को आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति से अवगत कराना ताकी वह इसमें गुणात्मक सुधार के लिये सरकार को सुझाव दे सके तथा उसके लिये कार्य कर सके।

अध्ययन का सारांश

राज्य में 0 से 6 साल के 93.5 लाख बच्चे हैं। इनमें से 27.5 लाख (29 प्रतिशत) बच्चे ही आँगनबाड़ी केन्द्रों से लाभान्वित हो रहें। वर्तमान में राजस्थान में 228 ग्रामीण क्षेत्र में, 36 जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में तथा 40 शहरी बाल विकास परियोजनाओं सहित कुल 304 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं जिसके अंतर्गत कुल 54 हजार 915 आँगनबाड़ी केन्द्र व 6 हजार 204 मिनी आंगबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। 31 दिसम्बर 2010 में इनमें से 52 हजार 839 आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 4 हजार 429 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित है।

राज्य में समेकित बाल विकास कार्यक्रम की विभागीय स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति कां देखते हैं तो ज्ञात होता है कि राज्य में 51 प्रतिशत पदों पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। महिला सुपरवाइजरों के 2232 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 27 प्रतिशत पद अभी भी रिक्त हैं। 10 प्रतिशत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर अभी भी सहायिकाओं की नियुक्तियां नहीं की गई हैं। आशा सहयोगिनियों के 23 प्रतिशत पदों को भरा जाना अभी शेष है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करने की वजह से विगत तीन वर्षों में इसमें राज्य के बजट में वृद्धि हुई हैं। 2008–09 में इस कार्यक्रम पर राज्य बजट का 1.12 प्रतिशत व्यय किया गया। 2010–11 के बजट अनुमानों में यह राशि राज्य बजट का 1.75 प्रतिशत थी। इससे पूर्व के वर्षों में यह राशि एक प्रतिशत से भी कम थी। अभी यह राशि बच्चों की संख्या के अनुसार काफी कम है।

यह अध्ययन राज्य के पांच विधानसभा क्षेत्रों 144 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर किया गया था। यह पांच विधानसभा क्षेत्र चूरू जिले में तारानगर, हनुमानगढ़ जिले में नोहर व संगरिया–टिब्बी, टोंक जिले में देवली–उनियारा तथा सिरोही जिले में सिरोही–शिवगंज थे। अध्ययन के दौरान जहाँ इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में समुदाय व विभाग की नियमित निगरानी हो रही हैं वहाँ की स्थितियां अच्छी हैं। परन्तु जहाँ समुदाय व विभाग की निगरानी प्रभावी नही हैं वहा केन्द्रों के संचालन में काफी परेशानियां आ रही है।

- टोंक जिले के देवली विधानसभा क्षेत्र आवां, बीजवाड, हनुमानगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र टिब्बी के पन्नीवाली तथा सिरोही जिले के सिरोही विधानसभा क्षेत्र के कृष्णगंज, जूनिया, गोल, कालन्द्री आदि आँगनबाड़ी केन्द्रों पर केन्द्र, विभाग (आई.सी.डी.एस.) व समुदाय में अच्छा समन्वय है, पोषाहार का वितरण नियमित रूप से, गुणवत्तापूर्ण एवं सही मात्रा में किया जा रहा है। वहाँ टीकाकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य परीक्षण, मासिक बैठक, पोषाहार वितरण, नियमित रिकॉर्ड भरना, बच्चों की पर्याप्त उपस्थिति आदि चीजें व्यवस्थित मिलीं। इन केन्द्रों पर सुपरवाइजर द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है, अतः ये केन्द्र व्यवस्थित व नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं।

- चूरू जिले के तारानगर विधानसभा क्षेत्र के झाड़सर कान्दलान, भनीण, रैया टुण्डा, धीरवास छोटा आदि ग्राम पंचायतों के आँगनबाड़ी केन्द्रों के अलावा अधिकांश केन्द्रों पर कार्यकर्त्ता के समय पर न आने व बच्चों की उपस्थिति कम रहने के कारण पोषाहार का वितरण नियमित रूप से नहीं किया जाता है।
- अधिकतर आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की संख्या पर्याप्त पाई गई लेकिन पोषाहार कम दिया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि पोषाहार का कच्चा सामान कार्यकर्त्ता अथवा सहायिका स्वयं के पैसों से खरीदती हैं जबकि 6–8 माह तक उस राशि का भुगतान नहीं मिल पाने के कारण वे कम पोषाहार पकाती हैं व कम मात्रा ही वितरित करती हैं।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कम से कम तीन कमरों के भवन की आवश्यकता होती है। जिसमें एक रसोई, एक स्टोर तथा एक बच्चों के बैठने का कमरा सम्मिलित है। सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश जगहों पर आँगनबाड़ी केन्द्र एक छोटे से कमरे में चल रहें हैं।
- अधिकांश केन्द्रों पर सुपरवाइजर अथवा सी.डी.पी.ओ. द्वारा निश्चित समयावधि पर निरीक्षण नहीं किया जाता है।
- केन्द्रों की समस्याओं जैसे–पोषाहार का खराब होना, भवन संबंधी समस्या, समय पर सामग्री प्राप्त न होना, मानदेय प्राप्त न होना आदि का समाधान करने का प्रयास नहीं किया जाता है।
- सिरोही विधानसभा क्षेत्र के केन्द्र माण्डवा तथा टोंक जिले के देवली विधानसभा क्षेत्र के केन्द्र चन्दवाड़ में गांवों के असामाजिक लोग शराब आदि पीकर केन्द्र पर आ जाते हैं, उत्पात मचाते हैं, जुआ खेलते हैं तथा कार्यकर्त्ता व सहायिका को परेशान करते हैं।
- समुदाय के लोगों की उससे अपेक्षा होती है कि पीछे से जब वे काम पर चले जाते हैं तो सहायिका या तो उनके काम से लौटने तक बच्चों को केन्द्र पर ही रखे।
- सिरोही विधानसभा क्षेत्र के केन्द्र गोल ,माण्डवा तथा टोंक जिले के देवली विधानसभा क्षेत्र चन्दवाड़, जूनिया, गांवड़ी, सीतारामपुरा आदि आँगनबाड़ी केन्द्र खुले में चलने के कारण वहाँ आवारा पशुओं की आवाजाही रहने व मलमूत्र आदि करने से भी केन्द्रों के संचालन में कठिनाईयां आती हैं।
- सिरोही विधानसभा क्षेत्र के केन्द्र गोल, माण्डवा, टोंक जिले के देवली विधानसभा क्षेत्र के केन्द्र चन्दवाड़ के शौचालय का गांव के लोग सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करके उसे गंदा करके छोड़ देते हैं। इस कारण शौचालय केन्द्र के इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता समुदाय के लोग शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ भी नहीं करवाते हैं।

- 57 प्रतिशत माताओं ने बताया कि उनका बच्चा नियमित रूप से आँगनबाड़ी जाता है, जबकि 34 प्रतिशत माताओं का कहना है कि उनका बच्चा कभी कभी आँगनबाड़ी जाता है।
- अध्ययन में शामिल 80 प्रतिशत माताओं का कहना है आँगनबाड़ी केन्द्र 21 दिन से अधिक खुलता हैं। 6 प्रतिशत माताओं का कहना हैं कि आँगनबाड़ी केन्द्र खुलता ही नहीं हैं। एक प्रतिशत का कहना है कि आँगनबाड़ी 10 दिन व 2 प्रतिशत माताओं का कहना है आँगनबाड़ी केन्द्र 15 से 20 दिनों के लिए खुलती हैं। तारानगर में आंगनबाड़ियों की स्थिति सबसे खराब है। वहाँ सर्वाधिक 19 प्रतिशत माताओं ने कहा कि आंगनबाड़ियां कभी खुलती ही नहीं है।
- 20 प्रतिशत (102) माताओं के अनुसार केन्द्र जब भी खुलता है तो वह 1 से 2 घंटे ही खुलता है। 25 प्रतिशत (126) माताओं के अनुसार केन्द्र 2 से 3 घंटे खुलता है। 49 प्रतिशत माताओं के अनुसार केन्द्र जब भी खुलता है तो वह 3 से 4 घंटे खुलता है।
- 96 प्रतिशत माताओं के अनुसार केन्द्र बन्द रहने का मुख्य कारण कार्यकर्त्ताओं के नहीं आने प्रमुख है। 512 माताओं में 60 प्रतिशत माताऐं मानती हैं कि केन्द्र पर पोषाहार नहीं होने के कारण बंद रहते हैं।
- नामाकंन कराने में अरुचि रखने वाली 100 प्रतिशत माताओं का कहना है कि आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को कोई लाभप्रद सुविधा नहीं मिलती, अतः इस कारण से वे केन्द्र पर बच्चों का नाम दर्ज नहीं करवाना चाहती। 67 प्रतिशत माताओं का मानना है कि आँगनबाड़ी बहुत ही कम खुलती है। 38 प्रतिशत माताएं यह कहती हैं कि आँगनबाड़ी बहुत दूर है, अतः वे बच्चों को केन्द्र पर नहीं भेजना चाहती हैं । 7 प्रतिशत माताएं जातिगत भेदभाव के कारण बच्चों को आँगनबाड़ी नहीं भेजना चाहती।
- 98 प्रतिशत माताएं केन्द्र पर मिलने वाले पोषाहार के कारण बच्चों का केन्द्र पर नामांकन करवाना चाहती हैं। 62 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि केन्द्र पर कुछ घंटों के लिए बच्चों की देखभाल हो जाती है अतः बच्चों का केन्द्र पर नामाकंन करवाना चाहती हैं।

अध्याय–1

समेकित बाल विकास योजना

यह योजना 1975 में शुरू की गई जिसमें बच्चों को विभिन्न लाभ एकीकृत ढ़ंग से मिल सके । सभी योजनाओ के क्रियान्वयन का माध्यम आँगनबाड़ी केन्द्र होता हैं। इस योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार है।

1. 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना ।
2. बच्चों के सही मानसिक ,शारारिक और सामाजिक विकास की ठोस नीव डालना ।
3. बच्चों की मौतो, कुपोषण और स्कूल छोडने की परिस्थतियो को बदलना ।
4. बच्चो के विकास के लिए कार्यरत विभिन्न विभागों के बीच नीतियों एवं क्रियान्वयन के स्तर पर समन्वय स्थापित करना ।
5. स्वयं की एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास सम्बधी जरूरतो के मद्देनजर सामुदायिक शिक्षा के जरिये महिलाओं की क्षमता का विकास करना ।

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली सुविधाएं

- ☞ देश की जनसंख्या में 16 प्रतिशत हिस्सा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का होता है। और इन बच्चो के विकास और पोषण के लिए संचालित होने वाली यह एक योजना है।
- ☞ इस योजना में 6 माह से 6 साल तक के बच्चो को पोषक आहार, स्वास्थ्य सुविधा और पढाई व गर्भवती–धात्री महिलाओं और किशोरियों के लिए पोषक आहार उपलब्ध करवाया जाता है।
- ☞ गर्भवती व धात्री माताओं तथा शिशुओं (5 वर्ष से कम उम्र) का टीकाकारण, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।
- ☞ इस योजना में गरीबी की रेखा या अन्य किसी भी मापदण्ड का पालन नही किया जाता है। बल्कि हर बच्चा, हर गर्भवती–धात्री महिला और हर किशोरी बालिका आँगनबाड़ी की सेवाऐ प्राप्त करने की हकदार है।

आँगनबाड़ी केन्द्र खोलने के आवश्यक मापदण्ड

क्रम सं.	क्षेत्र	निर्धारित आवश्यक जनसंख्या
1	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र	400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र
2	आदिवासी क्षेत्र	300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र
3	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र	150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र
4	आदिवासी क्षेत्र /मजरे टोले	300 से 800 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र
5	जिन झुग्गी बस्तियों तथा गॉवों में 6 वर्ष से कम के 40 बच्चे हो और यदि वहॉ पर कोई आंगनबाड़ी नही है तो वहाँ माँग करने पर तुरन्त 3 महीने के अन्दर आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाए । (13 दिसम्बर 2006 का आदेश)	

अब देश/राज्य के हर गॉव, झुग्गी झोपडी और बसावट में एक आँगनबाड़ी केन्द्र होना अनिवार्य है। जहाँ भी 6 वर्ष से कम उम्र के 40 बच्चें हो वहाँ स्थानीय लोगो की मांग पर तीन माह में एक आँगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र होना अनिवार्य है।

आँगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से निम्नानुसार सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है–

पूरक पोषक आहार– 6 वर्ष के कम उम्र के गरीब बच्चो, गर्भवती और धात्री (बच्चे को दूध पिलाने वाली) माताओं को तथा किशोरी बालिकाओं की पहचान हेतु समुदाय के सभी परिवारों का सर्वे किया जाता है वर्ष में कम से कम तीन सौ दिन पूरक पोषाहार दिया जाता है।

स्वास्थ्य की जाँच– सभी आँगनबाड़ी केन्द्रो में प्रत्येक माह टीकाकरण के दिन ए.एन. एम तथा स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की जाती है। स्वास्थ्य की जाँच के आधार पर स्वास्थ्य सुधार हेतु आवश्यक सलाह हितग्राहियो को दी जाती है।

सन्दर्भ सेवाएं– स्वास्थ्य की जाँच के आधार पर जरूरी होने पर महिलाओं और बच्चो को विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी या जिला स्तरीय चिकित्सालय में भेजा जाता है।

टीकाकरण– सभी आंगनबाडियों में प्रतिमाह सप्ताह में कोई एक दिन टीकाकरण के लिए तय रहता है उपरोक्त दिनो में ए.एन.एम द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। तथा उसी समय हितग्राहियो के स्वास्थ्य की जाँच भी की जाती है।

पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा– आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता तथा ए एन एम द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी घरो में स्वयं जाकर हितग्राहियो के स्वास्थ्य की जाँच की और उन्हे संतुलित भोजन आदि के बारे में सलाह दी जाती है।

शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा– आँगनबाड़ी केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मानसिक विकास करना है जिससे वे प्राथमिक स्कूल में और अच्छी तरह से शिक्षा ले सके । इसके लिए आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता द्वारा 3–6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल मे शिक्षा दी जाती है बच्चों को प्राथमिक संसाधनों जैसे–जल जंगल जानवर आदि के बारे में प्रारंभिक बाते बताई जाती है।

स्वास्थ्य सेवाएं– विभाग द्वारा स्वास्थ्य से संम्बधित सेवाऐं अलग से नही दी जाती है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य सेवाऐं देने के लिए आँगनबाड़ी केन्द्र के रूप में एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है आँगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा दी जाने वाली 6 सेवाओं में से 4 सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के अमले के सहयोग से दी जाती है।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.02.09 के द्वारा पूरक पोषाहार के श्रेणीवार लाभान्वितों के लिए निम्नानुसार संशोधित किया गया हैं –

क्र.स.	लाभार्थी	उर्जा (किलो कैलोरी में)	प्रोटीन (ग्राम में)
1.	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चें	500	12–15
2.	6 माह से 6 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चें	800	20–25
3.	गर्भवती एवं धात्री महिलाएं	600	18–20

इसके लिये आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन लाभार्थी को पूरक पोषाहार पर व्यय होने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है–

लाभार्थी वर्ग	राशि (रु.में)
0–3 वर्ष तक के बच्चे	4.00
3–6 वर्ष तक के बच्चे	4.00
0–6 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चे	6.00
गर्भवती/धात्री माताएं तथा किशोरी बालिकाएं	5.00

वर्तमान में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत चयनित 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार देने का प्रावधान है।

आँगनबाड़ी केन्द्र द्वारा बाल एवं मातृ पूरक पोषाहार पंजीरी (सत्तू)/बेबी मिक्स की मात्रा प्रति लाभान्वित प्रति दिवस निम्नानुसार उपलब्ध करवाई जावेगी –

क्र.स.	लाभार्थी	पोषाहार की मात्रा	
		प्रतिदिवस	प्रति सप्ताह
1.	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम	750 ग्राम
2.	गर्भवती एवं धात्री महिलाएं	150 ग्राम	900 ग्राम
3.	3 से 6 वर्ष के बच्चे	50 ग्राम (केन्द्र पर नाश्ते के लिए) गरम पूरक पोषाहार जो वर्तमान में दिया जा रहा हैं।	300 ग्राम प्रति बच्चा प्रति सप्ताह (600 ग्राम का एक पाउच केन्द्र पर दो सप्ताह के उपयोग हेतु)
4.	6 माह से 3 वर्ष के लिए के अतिकुपोषित बच्चे	200 ग्राम	1200 ग्राम (600 ग्राम के दो पाउच एक सप्ताह के लिए)
5.	3 से 6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चे	50 ग्राम (केन्द्र पर नाश्ते के लिए) गरम पूरक पोषाहार 75 ग्राम **(THR)**	450 ग्राम (900 ग्राम का एक पाउच दो सप्ताह के उपयोग हेतु)

पूरक पोषाहार का लाभान्वितों में वितरण निम्नानुसार कराया जाता है –

1. आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों को 125 ग्राम प्रति लाभान्वित प्रतिदिन के हिसाब से सप्ताह में 6 दिन के लिए 750 ग्राम के एक पाउच का वितरण, निर्धारित सप्ताहिक वितरण दिवस पर किया जावेगा। R.T.E. (तैयार खाने योग्य), {T.H.R.(घर ले जाने वाला)}
2. गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 150 ग्राम प्रति लाभान्वित प्रतिदिन के हिसाब से सप्ताह में 6 दिन के लिए 900 ग्राम के एक पाउच का वितरण निर्धारित सप्ताहिक वितरण दिवस पर किया जावेगा। R.T.E. (तैयार खाने योग्य), {T.H.R.(घर ले जाने वाला)}
3. 3–6 वर्ष के बच्चों को जो आँगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा के लिए उपस्थित होते हैं उन्हे केन्द्र खुलने के एक घण्टे के उपरान्त 50 ग्राम पूरक पोषाहार प्रति लाभान्वित प्रतिदिन का उपयोग कर गुनगुने पानी में पेस्ट बनाकर नास्ते के रूप में दिया जायेगा। इसके पश्चात्

बच्चों को गर्मियों के मौसम में 11.00–11.30 बजे एवं सर्दियों के मौसम में 12.00–12.30 बजे के दौरान गरम पूरक पोषाहार खिचड़ी/दलिया विभागीय निर्देशानुसार यथावत दिया जावेगा। (Morning Snack – Use of 50 gr RTE+ Hot meal)

4. आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को घर पर उपयोग हेतु 200 ग्राम प्रति लाभान्वित प्रतिदिन के हिसाब से सप्ताह में 6 दिन के लिए 600 ग्राम के दो पाउच का वितरण, निर्धारित साप्ताहिक वितरण दिवस पर किया जावेगा। R.T.E. (तैयार खाने योग्य), {T.H.R.(घर ले जाने वाला)}

5. आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं गरम पूरक पोषाहार जो इसी आयुवर्ग के बच्चों को केन्द्र पर दिया जा रहा हैं के अनुसार ही दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त उन्हे टेक होम राशन के रूप में (घर पर उपयोग हेतु) 75 ग्राम पूरक पोषाहार प्रतिदिवस के हिसाब से दो सप्ताह के लिए एक बार में ही 900 ग्राम का एक पाउच का वितरण सप्ताह के वितरण दिवस पर किया जावेगा। (Morning Snack – Use of 50 gr RTE+Hot meal)

राजस्थान में आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति (31 दिसम्बर 2010)

वर्तमान में राज्य में 304 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 54 हजार 915 आँगनबाड़ी केन्द्र व 6 हजार 204 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। 31 दिसम्बर 2010 में इनमें से 52 हजार 839 आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 4 हजार 429 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित है।

- आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के 419 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 205 (49 प्रतिशत) पदों पर ही बाल विकास परियोजना अधिकारी नियमित रूप से कार्यरत हैं। 51 प्रतिशत पदों पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है।
- महिला सुपरवाइजरों के 2232 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 1633 (73 प्रतिशत) पदों पर महिला सुपरवाइजर कार्यरत हैं, 27 प्रतिशत पद अभी भी रिक्त हैं।
- आँगनबाड़ी सहायिकाओं के कुल 54915 पद स्वीकृत हैं, परन्तु 49449 (90 प्रतिशत) भरे गए हैं। 10 प्रतिशत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर अभी भी सहायिकाओं की नियुक्तियां नहीं की गई हैं।
- आशा सहयोगिनियों के भी 54915 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 36738 (67 प्रतिशत) पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। आशा सहयोगिनियों के 23 प्रतिशत पदों को भरा जाना अभी शेष है।
- 18.1 लाख गर्भवती व धात्री महिलाएं पंजीकृत हैं इसमें से 8.3 लाख महिलाएं (46 प्रतिशत) ही लाभान्वित हो रही हैं, जिन्हें पूरक पोषाहार प्राप्त हुआ है बाकी 54 प्रतिशत महिलाओं को पूरक पोषाहार मिल ही नहीं रहा है।

- राज्य में 0 से 6 साल के 93.5 लाख बच्चे हैं। इनमें से 27.5 लाख (29 प्रतिशत) बच्चे ही आँगनबाड़ी केन्द्रों से लाभान्वित हो रहें।

पोषण के लिये बजट

समेकित बाल विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए केन्द्र व राज्य सरकार 50–50 प्रतिशत राशि उपलब्ध करवाती है। राज्य की कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत 6 वर्ष की कम आयु वर्ग का है। इसके लिए राज्य सरकार अपने बजट का एक प्रतिशत से भी कम खर्च कर रही है। 2007–08 तक राज्य सरकार ने राज्य बजट का एक प्रतिशत से भी कम इस कार्यक्रम पर खर्च किया था। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करने की वजह से विगत तीन वर्षों में इसमें वृद्धि हुई हैं। 2008–09 में इस कार्यक्रम पर राज्य बजट का 1.12 प्रतिशत व्यय किया गया। 2010–11 के बजट अनुमानों में यह राशि राज्य बजट का 1.75 प्रतिशत थी। अभी यह राशि बच्चों की संख्या के अनुसार काफी कम हैं।

राशि करोड़ रुपये में

पोषण के क्षेत्र में व्यय	2005-06 AE	2006-07 AE	2007-08 AE	2008-09 AE	2009-10 RE	2010-11 BE
एकीकृत बाल विकास योजना	223.30	293.25	265.65	449.57	616.61	893.71
आं.बा. भवन निर्माण, आदि	10.56	33.89	14.95	0.65	16.04	0.00
योग पोषण	**233.86**	**327.14**	**280.60**	**450.22**	**632.65**	**893.71**
राज्य बजट	25793.70	29763.17	35683.30	40195.54	46726.03	50994.72
राज्य बजट का प्रतिशत	**0·87%**	**0·99%**	**0·74%**	**1.12%**	**1.35%**	**1.75%**

स्रोत–राजस्थान बजट पुस्तिका

AE–वास्तविक व्यय, **RE**–संशोधित अनुमान, **BE**–बजट अनुमान

❑❑❑

अध्याय–2

अध्ययन की संरचना

उद्देश्य–

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राज्य में सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस परियोजना के संचालन की स्थिति को समझना तथा इसके लिए किये गये शासकीय प्रयासों विशेषकर आई.सी.डी.एस. के क्रियान्वयन की ढांचागत व्यवस्था को समझने का प्रयास करना तथा योजना के अंतर्गत संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति का अध्ययन करना हैं। योजना के प्रमुख उद्देश्यों को विस्तृत रूप से निम्न बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है–

- बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक विकास, गर्भवती व धात्री महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए चल रही आंगनबाड़ियों का अध्ययन करना।
- बच्चों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की आवश्यकता, महत्त्व व उपयोग का अध्ययन करना।
- गांवों में संचालित आँगनबाड़ी में लाभान्वित बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं की स्थिति का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
- योजनाओं के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ियों के प्रति समुदाय के नजरिये को समझने का प्रयास करना।
- क्षेत्र के विधायको को आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति से अवगत कराना ताकि वह इसमें गुणात्मक सुधार के लिये सरकार को सुझाव दे सके तथा उसके लिये कार्य कर सके।

अध्ययन का क्षेत्र–

प्रस्तुत अध्ययन राज्य के चार जिलों–हनुमानगढ़, सिरोही, चुरू व टोंक की पांच विधानसभा क्षेत्रों संगरिया–टिब्बी व नोहर (हनुमानगढ़), सिरोही (सिरोही), तारानगर (चूरू) तथा देवली–उनियारा (टोंक जिला) में किया गया। इन विधानसभा क्षेत्रों में आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति को जानने एवं बच्चों को मिलने वाले लाभों, केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं व बच्चों के अभिभावकों का केन्द्रों के प्रति नजरिया तथा समुदाय की भागीदारी का अध्ययन किया गया हैं।

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल विधान सभा क्षेत्र	अध्ययन हेतु चयनित विधान सभा
1	हनुमानगढ़	5	संगरिया–टिब्बी, व नोहर
2	सिरोही	4	सिरोही
3	चूरू	7	तारानगर
4	टोंक	4	देवली–उनियारा

शोध की प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन का यथार्थ विश्लेषण करने के लिए एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आवश्यक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। जिससे सही तथ्य प्राप्त किये जा सकें। इनका विवरण निम्न प्रकार हैं–

अध्ययन हेतु प्रतिदर्श चयन की विधि

रिसोर्स इन्सटीट्यूट फॉर ह्युमन राइट्स द्वारा विगत तीन वर्षों से विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ निरन्तर कार्य कर रहा है। इनके साथ समय समय पर बच्चों के विकास, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर कार्यशालाओं का आयोजन कर उन्हें उनके विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित मुद्दों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना तथा उन्ही के माध्यम से क्षेत्र की जनता को जागरूक बनाने का का प्रयास किया जाता रहा है। इन कार्यशालाओं में काफी विधायकों द्वारा संस्था के साथ जुड़कर कार्य करने व बच्चों की स्थिति में सुधार व उनके विकास हेतु संचालित परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों का विश्लेषण करने एवं बच्चों के विकास में सहयोग करने के लिये तैयार हुए। इसी क्रम में प्रारम्भ में राज्य के पांच विधानसभा क्षेत्रों को अध्ययन हेतु चुना गया।

विधानसभा क्षेत्र का चयन

अध्ययन हेतु विधानसभा क्षेत्रों का चयन विधायकों के सक्रिय सहयोग व उनके विधानसभा क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इन पांच विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत कुल चार जिले आते हैं–हनुमानगढ़, चूरू, सिरोही, टोंक। इन जिलों के पांच विधानसभा क्षेत्रों के संगरिया–टिब्बी, नोहर, तारानगर, सिरोही, शिवगंज, उनियारा व देवली ब्लॉक का चयन अध्ययन के लिए किया गया है।

गाँवों का चयन

निम्न पाँचों विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के साथ चर्चा करने के पश्चात् उनके सुझावों व क्षेत्र की स्थिति के आधार पर अध्ययन हेतु 8 ब्लॉक के कुल 144 गाँवों का चयन किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया विधानसभा क्षेत्र से 30 गांव तथा नोहर विधानसभा क्षेत्र से 30 गांव, सिरोही विधानसभा क्षेत्र से 25 गांव, टोंक जिले की देवली–उनियारा विधानसभा क्षेत्र से 29 गांव तथा चूरू जिले के तारा नगर विधानसभा क्षेत्र से कुल 30 गांवों का अध्ययन हेतु चयन किया गया है। इन गाँवों में एक–एक आँगनबाड़ी केन्द्र को अध्ययन के लिए चयन किया गया।

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	ब्लाक का नाम	चयनित गांवों की संख्या
1.	संगरिया–टिब्बी (हनुमानगढ़)	संगरिया व टिब्बी	30
2.	नोहर (हनुमानगढ़)	नोहर	30
3.	तारानगर (चूरू)	तारानगर	30
4.	सिरोही	शिवगंज व सिरोही	25
5.	देवली–अनियारा	देवली व उनियारा	29
	कुल योग		144

अध्याय–3

अध्ययन का विश्लेषण

रिसोर्स इन्सटीट्यूट फॉर ह्युमन राइट्स जयपुर द्वारा दिनांक 15 मई, 2010 से 10 अगस्त, 2010 तक राज्य के पांच विधानसभा क्षेत्रों (संगरिया–टिब्बी, नोहर, तारानगर, सिरोही व देवली–उनियारा) के आँगनबाड़ी केन्द्रों का अध्ययन किया गया। अध्ययन में आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति, संचालन व्यवस्था, कार्यकर्त्ताओं की प्रोफाइल, केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति, पोषाहार सामग्री पर व्यय होने वाली राशि एवं अन्य जानकारियाँ व उनका विश्लेषण अध्ययन के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

1. आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की स्थिति का विश्लेषण–

आँगनबाड़ी केन्द्र गांव स्तर पर आई.सी.डी.एस परियोजना के संचालन के मुख्य आधार हैं। इसी केन्द्र से समस्त गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। किसी भी व्यवस्था एवं गतिविधि को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए उसका संरचनात्मक ढांचा बेहतर होना एक जरूरी शर्त है। आई.सी.डी.एस के अर्न्तगत गांव में स्थापित आँगनबाड़ी केन्द्रों में बेहतर सुविधा एवं वातावरण होना बहुत जरूरी है जिससे सेहत एवं पोषण सुधार के लिए बेहतर माहौल बनाने में मदद मिले। यद्यपि प्रारंभिक तौर पर देखें तो आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बना चुकी है लेकिन स्थापना के साथ ही इन केन्द्रों के लिए बेहतर वातावरण निर्मित करने का काम अभी बाकी है। इस भाग में कार्यकर्त्ताओं की सामाजिक व शैक्षिक स्थिति के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है।

ग्राफ–1 के अनुसार अध्ययन में शामिल 5 विधानसभा क्षेत्रों के 144 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत 49 प्रतिशत आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता 35 वर्ष या उससे कम आयुवर्ग की हैं। वहीं लगभग 51 प्रतिशत (68 कार्यकर्त्ता) कार्यकर्त्ता 36–60 वर्ष की है। 9 प्रतिशत (13 कार्यकर्त्ता) कार्यकर्त्ता ही 25 वर्ष से कम आयु की है। 44 प्रतिशत कार्यकर्त्ता 26 से 35 आयुवर्ग की है। 40 प्रतिशत कार्यकर्त्ता 36 से 50 आयुवर्ग की है। 7 प्रतिशत कार्यकर्त्ता 50 साल से अधिक उम्र की है।

ग्राफ–1 आयुवर्ग के आधार पर केन्द्रों की संख्या

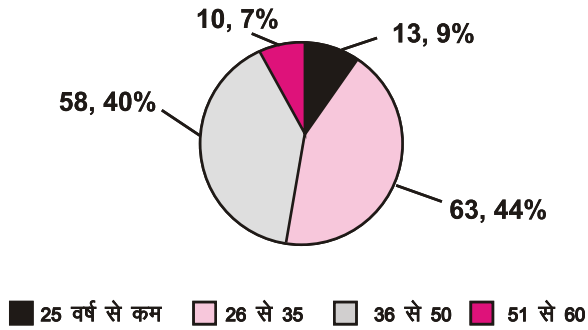

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

1.2 शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्त्ताओं की शैक्षणिक योग्यता न्यूतनम 10 वीं पास होना आवश्यक है। ग्राफ–2 के अनुसार अध्ययन में शामिल 144 केन्द्रों में से 72 (50 प्रतिशत) कार्यकर्त्ताओं की शिक्षा का स्तर 8वीं कक्षा तक है। ऐसी स्थिति में इन कार्यकर्त्ताओं के लिए केन्द्र पर तैयार किए जाने वाले रिकॉर्ड की पूर्ति करना मुश्किल होता है। जो कि केन्द्र के व्यवस्थित संचालन की दृष्टि से एक बड़ी समस्या है। 30 प्रतिशत (43) महिलाएं ही 9 वी 10वी तक पढी हुई हैं। मात्र 12 प्रतिशत (18) महिलाएं ही कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक पढी हुई हैं अध्ययन में शामिल 8 प्रतिशत (11 कार्यकर्त्ता) कार्यकर्त्ताओं ने कालेज स्तर तक की पढाई कर रखी है जो आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के रूप में काम कर रही है। जो दर्शाता है कि गांव में आज भी पढी–लिखी महिलाओं की संख्या बहुत कम है जो हैं वो इस कार्यक्रम से जुड़ना नहीं चाहती है।

ग्राफ–2 शैक्षणिक योग्यता के आधार पर केन्द्रों की संख्या

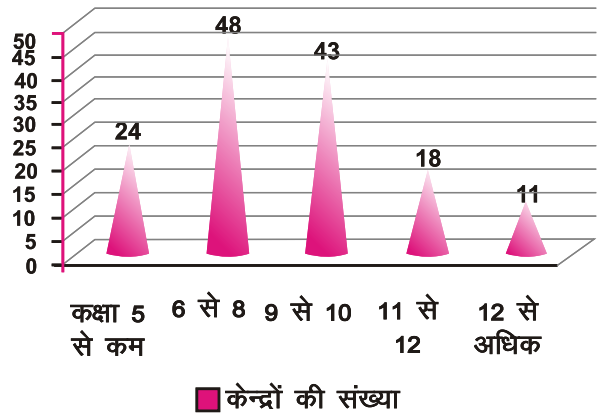

फील्ड सर्वे के आधार पर

1.3 जातीय आधार पर वर्गीकरण

ग्राफ–3 के अनुसार आँगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्त्ताओं का जातिगत विवरण को दर्शाया गया हैं। केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्त्ताओं में सर्वाधिक 44 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं का है। अनु.जन. जाति की मात्र 3 प्रतिशत महिलाएं ही केन्द्रों पर कार्य कर रही हैं। वही अनुसूचित जाति की 18 प्रतिशत महिलाएं कार्यकर्त्ता के रूप में कार्यरत है। 35 प्रतिशत (50 कार्यकर्त्ता) कार्यकर्त्ता सामान्य वर्ग की हैं।

ग्राफ–3 जातिवर्ग के आधार पर संख्या

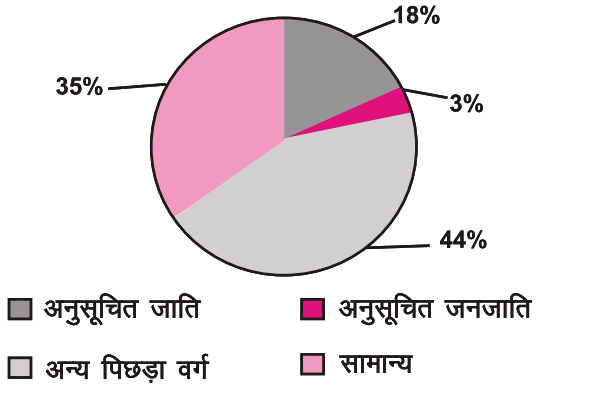

फील्ड सर्वे के आधार पर

विधानसभा क्षेत्रवार कार्यकर्त्ताओं का वर्गीकरण करने पर ज्ञात होता है कि तारानगर,संगरिया व नोहर विधानसभा क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक कार्यकर्त्ता अन्य पिछडा वर्ग की है। देवली उनियारा

विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 62 प्रतिशत (18 महिलाएं) महिलाएं सामान्य वर्ग की है, जो कार्यकर्त्ता के रूप में केन्द्रों पर कार्य कर रही हैं। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 23 प्रतिशत (7 कार्यकर्त्ता) कार्यकर्त्ता सामान्य वर्ग की है।

1.4 कार्य अनुभव के आधार पर वर्गीकरण

अध्ययन में शामिल 72 प्रतिशत आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता ऐसी हैं जिन्हें 9 या 9 से अधिक वर्षों का कार्यानुभव प्राप्त है। मात्र 15 प्रतिशत महिलाओं को 3 वर्ष से कम का अनुभव है। 13 प्रतिशत महिलाओं को 3 से 8 वर्ष का अनुभव है। (देखें सारणी–1)

सारणी–1 कार्य अनुभव के आधार पर वर्गीकरण

कार्य अवधि	केन्द्रों की संख्या	प्रतिशत
3 वर्ष से कम	21	14.6
3–8 वर्ष	19	13.2
9 –15 वर्ष	90	62.5
16–25 वर्ष	10	6.9
26 से अधिक	4	2.8
कुल योग	**144**	**100.0**

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

2. आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति

अध्ययन में आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। सरकार द्वारा इन आंगनबाड़ियों का संचालन बच्चों में कुपोषण के स्तर को कम करने, शालापूर्व शिक्षण उपलब्ध करवा कर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिये तैयार करने, आदि उद्देश्यों को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। योजना के उद्देश्यो के क्रियान्वयन में केन्द्रों की भूमिका को समझना अध्ययन का उद्देश्य है। अध्ययन के दौरान केन्द्रों की स्थिति, दूरी, भवन की व्यवस्था, सुविधाओं की उपलब्धता, केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता, आदि है।

ग्राफ–4 केन्द्रों के संचालन का स्थान

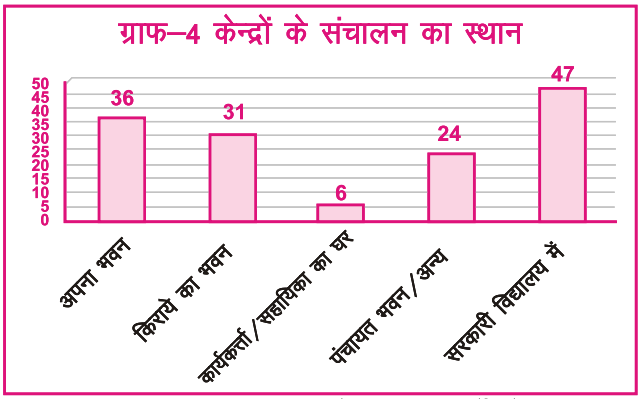

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

ग्राफ–4 के अनुसार अध्ययन में शामिल 144 केन्द्रों में से मात्र 25 प्रतिशत केन्द्र (36 केन्द्र) ही स्वयं के आंगनबाडी भवनों में चल रहें हैं। सर्वाधिक 33 प्रतिशत

केन्द्र (47 केन्द्र) सरकारी स्कूलों के एक कमरे में चल रहें। 21 प्रतिशत केन्द्र किराये के भवनों में चल रहें हैं। वहीं 17 प्रतिशत केन्द्र (24 केन्द्र) या तो पंचायत भवनों में चल रहें है या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पटवार भवन में चल रहे है। 4 प्रतिशत केन्द्र (6 केन्द्र) ऐसे हैं जिन्हें आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता अथवा सहायिका अपने घरों में संचालित कर रही हैं।

विधानसभा क्षेत्र के आधार पर केन्द्रों के संचालन की स्थिति का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 52 प्रतिशत केन्द्र स्वयं के भवनों में संचालित हो रहे हैं, जबकि संगरिया व टिब्बी में सबसे कम 10 प्रतिशत केन्द्रों के पास ही स्वयं का भवन है। नोहर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक 67 प्रतिशत केन्द्र सरकारी विद्यालयों में चल रहे हैं। नोहर विधानसभा क्षेत्र में 27 प्रतिशत (8 केन्द्र) केन्द्र किराये के भवनों में चल रहें है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 13 प्रतिशत (4 केन्द्र) केन्द्र आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता अथवा सहायिका के घर में संचालित हो रहे हैं। संगरिया–टिब्बी में 20 प्रतिशत (6 केन्द्र), सिरोही में 28 प्रतिशत (7 केन्द्र), व देवली उनियारा में सर्वाधिक 28 प्रतिशत केन्द्र पंचायत भवनों में चल रहे हैं।

2.1 आँगनबाड़ी केन्द्रो पर उपलब्ध सुविधाएं

आँगनबाड़ी केन्द्र को सुव्यवस्थित तरह से चलाने के लिये आवश्यक है कि केन्द्र पर मूल–भूत सुविधाएं जैसे बिजली, साफ पीने का पानी, शौचालय आदि उपलब्ध हो। अध्ययन में शामिल 144 केन्द्रों पर इन मूल–भूत सुविधाओं का अभाव देखा गया।

सारणी–2 के आधार पर स्पष्ट होता है कि 85 प्रतिशत केन्द्रों पर बिजली, 87 प्रतिशत केन्द्रों पर पंखा, 56 प्रतिशत केन्द्रों पर पीने के पानी, 53 प्रतिशत केन्द्रों पर शौचालयों की व्यवस्था, 49 प्रतिशत केन्द्रों पर विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थान, 50 प्रतिशत केन्द्रों पर रसोईघर की व्यवस्था, 61 प्रतिशत केन्द्रों पर भण्डार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हैं।

सारणी–2 केन्द्रो पर उपलब्ध सुविधाएं

सुविधा का नाम	संख्या	प्रतिशत
बिजली	21	14.6
बिजली का पंखा	18	12.5
साफ पीने का पानी	63	43.8
शौचालय	67	46.5
अन्दर की गतिविधि के लिये स्थान	73	50.7
रसोईघर	72	50.0
भंडार	56	38.9

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

विधानसभा क्षेत्र के आधार पर केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति पर दृष्टि डालें तो हम यह पाते हैं कि सुविधाओं की दृष्टि से केन्द्रों की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 97 प्रतिशत, तारानगर में 93 प्रतिशत व सिरोही में 88 प्रतिशत केन्द्रों पर बिजली उपलब्ध नहीं हैं। देवली उनियारा में किसी भी आँगनबाड़ी केन्द्र में पंखों व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जबकि सिरोही में 92 प्रतिशत केन्द्रों पर, तारानगर, संगरिया व टिब्बी में 90 प्रतिशत क्षेत्रों पर पंखे नहीं है। पीने के पानी की सबसे खराब स्थिति तारानगर विधानसभा क्षेत्र की है, यहाँ पर 83 प्रतिशत केन्द्रों पर पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। शौचालयों की स्थिति देखें तो सिरोही विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 68 प्रतिशत केन्द्रों पर शौचालयों का अभाव है। नोहर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 63 प्रतिशत केन्द्रों पर रसोईघर की व्यवस्था का उपलब्ध ही नहीं है। भण्डार गृहों की स्थिति पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि 72 प्रतिशत केन्द्रों पर भण्डार गृह हैं ही नहीं। (देखे सारणी–2.1)

सारणी–2.1 विधानसभा क्षेत्रवार केन्द्रो पर उपलब्ध सुविधाएं

विधान सभा क्षेत्र		बिजली	बिजली का पंखा	साफ पीने का पानी	शौचालय	रसोईघर	भंडार
तारानगर	संख्या	2	3	5	14	19	9
	प्रतिशत	*6.7%*	*10.0%*	*16.7%*	*46.7%*	*63.3%*	*30.0%*
संगरिया टिब्बी	संख्या	6	3	10	15	13	15
	प्रतिशत	*20.0%*	*10.0%*	*33.3%*	*50.0%*	*43.3%*	*50.0%*
नोहर	संख्या	9	10	20	18	11	13
	प्रतिशत	*30.0%*	*33.3%*	*66.7%*	*60.0%*	*36.7%*	*43.3%*
सिरोही	संख्या	3	2	13	8	12	11
	प्रतिशत	*12.0%*	*8.0%*	*52.0%*	*32.0%*	*48.0%*	*44.0%*
देवली उनियारा	संख्या	1	0	15	12	17	8
	प्रतिशत	*3.4%*	*.0%*	*51.7%*	*41.4%*	*58.6%*	*27.6%*
कुल योग	संख्या	21	18	63	67	72	56
	प्रतिशत	*14.6%*	*12.5%*	*43.8%*	*46.5%*	*50.0%*	*38.9%*

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

2.2 आँगनबाड़ी केन्द्र के भवन की स्थिति

सरकार द्वारा संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर भवनों की व्यवस्था भी पर्याप्त होना आवश्यक है। जहाँ कमरे स्वच्छ, सुरक्षित, पर्याप्त हवादार, रोशनी की पूर्ण व्यवस्था एवं रोशनदान व चारदीवारी से युक्त होने चाहिए। परन्तु अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि 53 प्रतिशत केन्द्र के भवनों की स्थिति ऐसी है जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है। भवन जर्जरावस्था में हैं जहाँ पर बच्चों को बिठाना सुरक्षित नहीं है। बारिश में यह स्थिति और गंभीर हो जाती है।

सारणी–3 केन्द्र के भवन की स्थिति

क्रम सं.	स्थिति	केन्द्रों की संख्या	प्रतिशत
1	केन्द्र को मरम्मत की जरूरत है	76	52.8
2	आंगनवाड़ी केन्द्र बारिश में सुरक्षित नहीं रहता है	56	38.8
3	आंगनवाड़ी केन्द्र पर्याप्त रूप से हवादार नहीं है	77	53.5
4	केन्द्र में पर्याप्त रोशनी नहीं है	47	32.6
5	केन्द्र की चारदीवारी नहीं है	64	44.4

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

सारणी–3 के अनुसार 39 प्रतिशत केन्द्र बारिश से असुरक्षित हैं। बारिश के दिनों में केन्द्रों की छतों से पानी टपकता है। कुछ केन्द्र तो ऐसे हैं जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को बैठाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों के माता पिता बच्चों को केन्द्रों पर नहीं भेजते। 53 प्रतिशत केन्द्र पर्याप्त हवादार न होने के कारण गर्मियों के दिनों में वहाँ की हालत बहुत खराब हो जाती है। बच्चें गर्मी के कारण केन्द्र से समय से पूर्व ही भाग जाते हैं। बच्चों को गर्मी से परेशान होते देख कर अभिभावक भी बच्चों को भेजने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। 33 प्रतिशत केन्द्रों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ खिड़कियां व रोशनदान नहीं होने के कारण कमरों में पर्याप्त रोशनी नहीं पहुंच पाती है, व बिजली की व्यवस्था न होने के कारण भी केन्द्रों पर अंधेरा रहता है। जिसके कारण भी बच्चे केन्द्रों पर रूकना पसंद नहीं करते व पोषाहार लेकर भाग जाते हैं। 43 प्रतिशत केन्द्रों पर चारदीवारी की व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण गांव के आवारा पशु वहाँ आकर बैठते हैं व वहाँ पर गोबर आदि कर देते हैं । केन्द्र पर सफाई कर्मचारी की व्यवस्था नहीं होने के कारण कार्यकर्त्ता अथवा सहायिकाओं को ही सफाई करनी पड़ती है। गांव के कुछ असामाजिक लोग भी चारदीवारी न होने के कारण वहाँ आकर बैठते हैं तथा शराब आदि पीकर जुआ खेलते हैं। शराब के नशे में कार्यकर्त्ता व सहायिका को परेशान करते हैं।

विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर देखें तो सिरोही जिले में सर्वाधिक 64 प्रतिशत व देवली उनियारा जिले में 59 प्रतिशत केन्द्र ऐसे हैं जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है। सिरोही जिले के जोयला, उत्थमन, सीलदर, पोसालिया केन्द्र तथा देवली उनियारा में जूनिया, बड़ोली, रूपवास व कनवाड़ा आदि केन्द्रों पर भवनों की स्थिति ज्यादा गंभीर हैं। जिन्हें मरम्मत की सख़्त आवश्यकता है। इसी प्रकार देवली उनियारा में 52 प्रतिशत व संगरिया टिब्बी में 53 प्रतिशत केन्द्र बारिश से सुरक्षित नहीं हैं। संगरिया व टिब्बी में चकप्रतापनगर, ब्राह्मणवासी, चन्दूरवाली आदि केन्द्र व देवली उनियारा के गांवड़ी, पलाई, आवां के केन्द्रों पर बारिश से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण छतों पर से पानी टपकता है, व सड़क का पानी भी वहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है। छत से पानी टपकने के कारण स्टोर में रखा पोषाहार का सामान भीग कर सड़ने लग जाता है। संगरिया टिब्बी में 50 प्रतिशत व सिरोही में 48 प्रतिशत केन्द्रों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। सिरोही जिले के मांडवा व गोल आँगनबाड़ी केन्द्रों पर चार दीवारी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण गांव के कुछ असामाजिक लोगों के गलत व्यवहार के कारण कार्यकर्त्ता व सहायिकाओं को परेशानी झेलनी पड़ती है।

2.3 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर सामान की उपलब्धता

सरकार द्वारा केन्द्र पर स्वास्थ्य सुविधाओं के अर्न्तगत मेडिसीन किट, बच्चों (0–3 वर्ष) व बड़ों (3–6 वर्ष तथा गर्भवती व किशोरी बालिकाऐं) का वजन मापने की मशीन, आवश्यक दवाएं, पोषाहार पकाने व पानी की व्यवस्था के लिए बर्तन आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। सर्वे में केन्द्रों पर इन साधनों की उपलब्धता को भी देखा गया। जिसमें पाया गया कि खेलने के सामान की स्थिति सबसे खराब है। सारणी–4 के अनुसार 87 प्रतिशत केन्द्रों पर खेलने का सामान उपलब्ध ही नहीं है। 67 प्रतिशत केन्द्रों पर बच्चों का वजन मापने की मशीन उपलब्ध नहीं है। बाकी उपलब्ध सामान की स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है।

सारणी–4 केन्द्र पर सामानों की उपलब्धता

सामग्री	संख्या	प्रतिशत
मेडिसिन किट/फर्स्टएड का डब्बा	129	89.6
बच्चों का वजन मापने की मशीन	48	33.3
बड़ों का वजन मापने की मशीन	123	85.4
खाना पकाने के बर्तन	114	79.2
भीतर खेलने का सामान	19	13.2
पानी स्टोर करने के लिए बर्तन	104	72.2

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

विधानसभा क्षेत्रवार विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि केन्द्रों पर उपलब्ध सामान की स्थिति देखें तो मेडिसिन किट सिर्फ देवली उनियारा में सभी केन्द्रों पर उपलब्ध है।

सारणी–4.1 के अनुसार संगरिया व टिब्बी के 23 प्रतिशत केन्द्र ऐसे हैं जहाँ मेडिसीन किट उपलब्ध ही नहीं है। तारानगर, संगरिया टिब्बी व नोहर विधानसभा क्षेत्रों में केन्द्रों पर बच्चों का वजन मापने की मशीन उपलब्ध ही नहीं है। मात्र 33 प्रतिशत केन्द्रों पर ही मशीनें उपलब्ध हैं। इसके अलावा संगरिया व टिब्बी में 30 प्रतिशत केन्द्रों पर बड़ों का वजन मापने की मशीन उपलब्ध नहीं है। पोषाहार पकाने हेतु बर्तनों की उपलब्धता को देखें तो संगरिया व टिब्बी के 40 प्रतिशत, नोहर के 27 प्रतिशत व सिरोही के 24 प्रतिशत केन्द्रों पर पोषाहार पकाने के लिए बर्तन उपलब्ध नहीं है। बच्चों के मनोरंजन व खेलने के सामान की उपलब्धता तारानगर के सर्वाधिक 58 प्रतिशत केन्द्रों पर नहीं हैं। नोहर के 47 प्रतिशत संगरिया व टिब्बी के 37 प्रतिशत व सिरोही के 36 प्रतिशत केन्द्रों पर पानी स्टोर करने के लिए बर्तन उपलब्ध नहीं हैं।

सारणी–4.1 विधानसभा क्षेत्रवार केन्द्र पर सामानों की उपलब्धता

विधान सभा क्षेत्र		मेडिसिन किट	बच्चों का वजन मापने की मशीन	बड़ों का वजन मापने की मशीन	खाना पकाने के बर्तन	भीतर खेलने का सामान	पानी स्टोर करने के लिए बर्तन
तारानगर	संख्या	26	0	26	26	13	25
	प्रतिशत	86.7%	.0%	86.7%	86.7%	43.3%	83.3%
संगरिया टिब्बी	संख्या	23	0	21	18	20	19
	प्रतिशत	76.7%	.0%	70.0%	60.0%	66.7%	63.3%
नोहर	संख्या	28	0	25	22	21	16
	प्रतिशत	93.3%	.0%	83.3%	73.3%	70.0%	53.3%
सिरोही	संख्या	23	22	23	19	13	16
	प्रतिशत	92.0%	88.0%	92.0%	76.0%	92.0%	64.0%
देवली उनियारा	संख्या	29	26	28	29	19	28
	प्रतिशत	100.0%	89.7%	96.6%	100.0%	100.0%	96.6%
कुल योग	संख्या	129	48	123	114	86	104
	प्रतिशत	89.6%	33.3%	85.4%	79.2%	82.6%	72.2%

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

3. नामाकंन एवं उपस्थिति

आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विकास के लिए किया जा रहा है। अतः केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति व नामांकन की स्थिति को भी अध्ययन के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

3.1 नामाकंन के आधार पर केन्द्रों की संख्या

अध्ययन में शामिल 144 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के नामांकन की स्थिति को दर्शाया गया है–

सारणी–5 नांमाकन के आधार पर केन्द्रों की संख्या

बच्चों की संख्या	0 से 3 तीन वर्ष		3 से 6 वर्ष	
	केन्द्रों की संख्या	प्रतिशत	केन्द्रों की संख्या	प्रतिशत
20 से कम	19	13.2	46	31.9
21 से 40 तक	80	55.6	86	59.7
41 से अधिक	45	31.2	12	8.3
योग	144	100.0	144	100.0

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

सारणी–5 में 0–3 वर्ष व 3–6 वर्ष के बच्चों की केन्द्रों पर नामाकंन के आधार पर केन्द्रों की संख्यात्मक स्थिति को दर्शाया गया है। लगभग 56 प्रतिशत केन्द्र ऐसे हैं जहाँ पर 0–3 वर्ष के 21–40 बच्चे नामांकित हैं व 31 प्रतिशत केन्द्रों पर नामांकित बच्चों की संख्या 40 से अधिक है, 13 प्रतिशत केन्द्रों पर यह नामांकन 20 से कम हैं। इसी प्रकार 3–6 वर्ष के बच्चों में सर्वाधिक 60 प्रतिशत केन्द्रों पर 20–40 बच्चे नामांकित हैं,परन्तु 32 प्रतिशत केन्द्रों पर बच्चों की संख्या 20 से भी कम है जिससे पता चलता है कि इन केन्द्रों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 8 प्रतिशत केन्द्रों पर यह नामांकन 41 से अधिक हैं।

3.1 केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति

सर्वे के दौरान केन्द्र पर उपस्थित बच्चे–

सर्वे के दौरान केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति का भी निरीक्षण किया गया। सारणी–6.1 के अनुसार पाया गया कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र के 30 प्रतिशत केन्द्र ऐसे थे, जहाँ बच्चों की संख्या 10 से कम पाई गई। यहाँ 63 प्रतिशत केन्द्रों पर 11से 20 तक बच्चे उपस्थित मिले। 30 से 40 के बीच बच्चों की उपस्थिति तो तारानगर के किसी भी केन्द्र पर नहीं पाई गई। सिरोही में ही मात्र 8 प्रतिशत केन्द्रों पर 31 से 40 तक की संख्या में बच्चे उपस्थित मिले। पाँचो विधानसभा क्षेत्रों के एक भी केन्द्र पर बच्चों की संख्या 31 से 40 के बीच नहीं पाई गई।

सारणी–6.1 के विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि सर्वे के दौरान अधिकांशतः 49 प्रतिशत केन्द्रों पर अधिकतम 11से 20 की संख्या में बच्चे उपस्थित पाए गए हैं। सर्वे के दौरान देवली पंचायत समिति के पोलियाड़ा केन्द्र पर एक भी बच्चा उपस्थित नहीं मिला। देवड़ावास में (10), संथली (6), बड़ौली में (13), आवां में (11) बच्चे उपस्थित थे। इसी प्रकार उनियारा में भी रूपवास में 12, देवली में 14 व खातोली में 13 बच्चे ही उपस्थित मिले।सिरोही जिले में शिवगंज विधानसभा क्षेत्र में जोगापुर आँगनबाड़ी केन्द्र पर 9.30 बजे तक भी कार्यकर्त्ता अथवा सहायिका उपस्थित नहीं थी केन्द्र बंद था।

सारणी–6.1 विधानसभा क्षेत्रवार केन्द्र पर बच्चों की उपस्थिति

विधान सभा क्षेत्र		बच्चों की संख्या					कुल योग
		10 से कम	11 से 20	21से 30	31से 40	41से अधिक	
तारानगर	संख्या	9	19	1	0	1	30
	प्रतिशत	*30.0%*	*63.3%*	*3.3%*	*.0%*	*3.3%*	*100.0%*
संगरिया टिब्बी	संख्या	5	9	15	0	1	30
	प्रतिशत	*16.7%*	*30.0%*	*50.0%*	*.0%*	*3.3%*	*100.0%*
नोहर	संख्या	5	13	11	1	0	30
	प्रतिशत	*16.7%*	*43.3%*	*36.7%*	*3.3%*	*.0%*	*100.0%*
सिरोही	संख्या	5	12	6	2	0	25
	प्रतिशत	*20.0%*	*48.0%*	*24.0%*	*8.0%*	*.0%*	*100.0%*
देवली उनियारा	संख्या	7	17	5	0	0	29
	प्रतिशत	*24.1%*	*58.6%*	*17.2%*	*.0%*	*.0%*	*100.0%*
कुल योग	संख्या	31	70	38	3	2	144
	प्रतिशत	*21.5%*	*48.6%*	*26.4%*	*2.1%*	*1.4%*	*100.0%*

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

इसी प्रकार तारानगर में अधिकांश आँगनबाड़ी केन्द्र निर्धारित समयानुसार बन्द मिले कई केन्द्रों पर तो सर्वेकर्ता ने ग्रामीणों के माध्यम समे कार्यकर्त्ता व सहायिका को बुलवाया।

3.1.1 किसी एक दिन कितने उपस्थित बच्चे–

किसी एक दिन बच्चों की उपस्थिति का औसत निकाले तो हम देखते हैं कि संगरिया व टिब्बी के 63 केन्द्रों पर 11से 20 की संख्या में बच्चे उपस्थित होते हैं, यहाँ पर 21 से 30, 31 से 40 व 41 से अधिक संख्या में उपस्थित होने वाले बच्चों का प्रतिशत 0 है। इसी प्रकार नोहर में 20 प्रतिशत बच्चे 21से 30 की संख्या में व मात्र 3 प्रतिशत बच्चे 31 से 40 में केन्द्रों पर उपस्थित होते हैं। तारानगर में भी 19 प्रतिशत बच्चे 21 से 30 की संख्या में व 2 प्रतिशत बच्चे 31 से 40 की संख्या में उपस्थित होते हैं। अधिकांश केन्द्रों पर 41 से अधिक की संख्या में बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर है।

(देखें सारणी–7)

सारणी–7 विधानसभा क्षेत्रवार किसी एक दिन केन्द्र पर बच्चों की स्थिति

विधान सभा क्षेत्र	संख्या	बच्चों की संख्या					कुल योग
		10 से कम	11 से 20	21 से 30	31 से 40	41 से अधिक	
तारानगर	संख्या	11	19	0	0	0	30
	प्रतिशत	*36.7%*	*63.3%*	*.0%*	*.0%*	*.0%*	*100.0%*
संगरिया टिब्बी	संख्या	5	17	6	1	1	30
	प्रतिशत	*16.7%*	*56.7%*	*20.0%*	*3.3%*	*3.3%*	*100.0%*
नोहर	संख्या	3	14	12	1	0	30
	प्रतिशत	*10.0%*	*46.7%*	*40.0%*	*3.3%*	*.0%*	*100.0%*
सिरोही	संख्या	6	11	7	1	0	25
	प्रतिशत	*24.0%*	*44.0%*	*28.0%*	*4.0%*	*.0%*	*100.0%*
देवली उनियारा	संख्या	8	18	3	0	0	29
	प्रतिशत	*27.6%*	*62.1%*	*10.3%*	*.0%*	*.0%*	*100.0%*
कुल योग	संख्या	33	79	28	3	1	144
	प्रतिशत	*22.9%*	*54.9%*	*19.4%*	*2.1%*	*.7%*	*100.0%*

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

4. स्वास्थ्य जाँच व स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता की भूमिका

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण व टीकाकारण आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके लिए केन्द्रों पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता व स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों आदि की सुविधाएं ली जाती हैं। प्रति माह केन्द्रों पर स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता इन कार्यों के लिए नियमित रूप से केन्द्रों पर जाती हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता की केन्द्रों पर जाने की स्थिति को निम्नांकित सारणी के माध्यम से समझा जा सकता है–

सारणी–8 स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का केन्द्र पर जाना

मद	संख्या	प्रतिशत
हमेशा सुनिश्चित दिन पर आती हैं	114	79.2
सुनिश्चित दिन पर नहीं आती हैं	30	20.8
आने की सूचना देना	64	44.4
आने की सूचना नहीं देना	80	55.5

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पर बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण कार्यक्रम किए जाते हैं। जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता केन्द्रों पर आती हैं। 79 प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता केन्द्र पर सुनिश्चित किए गए दिन पर ही स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण कार्य हेतु आती हैं, जबकि 44 प्रतिशत केन्द्रों पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता सुनिश्चित दिन आने के स्थान पूर्व सूचना देकर किसी भी दिन आ जाती है। स्वास्थ्य परीक्षण का दिन सुनिश्चित होने के कारण समुदाय के लोगों को पहले से ही जानकारी रहती है। अतः उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती जबकि दिन सुनिश्चित न होने की स्थिति में कार्यकर्त्ता उन्हें पूर्व सूचना देती है। सर्वे के दौरान नोहर में गोगामेढी केन्द्र पर टीकाकरण कार्यक्रम चलता हुआ पाया गया जहाँ पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता द्वारा गर्भवती महिलाओं को टीके लगाने, छोटे बच्चों को टीके लगाने व किशोरी बालिकाओं को आयरन की दवा देने आदि कार्य किए जा रहे थे। टीकाकरण कार्यक्रम के पश्चात् स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता ने उपस्थित सहभागियों के साथ चर्चा की। जिसमें उन्हें मौसमी बीमारियों, स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी दी। जबकि नोहर विधानसभा केन्द्र के ही श्योरानी केन्द्र पर सर्वेकर्त्ता ने पाया कि स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता केन्द्र पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आई थी, परन्तु महिलाओं के केन्द्र पर न आने के कारण दस मिनट बाद बिना स्वास्थ्य परीक्षण किए ऐसे ही वापस लौट गई।

4.1 पिछले तीन माह में निरीक्षण

सर्वे में पिछले तीन माह में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता द्वारा किए गए निरीक्षणों की स्थिति का पता लगाने का भी प्रयास अध्ययन के दौरान किया गया। सारणी–9 में विधानसभा क्षेत्रवार स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता की विजिट को दर्शाया गया है।

सारणी–9 विधानसभा क्षेत्रवार स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का विजिट

विधान सभा क्षेत्र		कभी नहीं आते	माह में एक बार	माह में 2 बार	माह में तीन बार से अधिक	कुल योग
तारानगर	संख्या	3	17	8	2	30
	प्रतिशत	*10.0%*	*56.7%*	*26.7%*	*6.7%*	*100.0%*
संगरिया टिब्बी	संख्या	7	16	3	4	30
	प्रतिशत	*23.3%*	*53.3%*	*10.0%*	*13.3%*	*100.0%*
नोहर	संख्या	3	20	1	6	30
	प्रतिशत	*10.0%*	*66.7%*	*3.3%*	*20.0%*	*100.0%*
सिरोही	संख्या	1	22	1	1	25
	प्रतिशत	*4.0%*	*88.0%*	*4.0%*	*4.0%*	*100.0%*
देवली उनियारा	संख्या	0	26	0	3	29
	प्रतिशत	*.0%*	*89.7%*	*.0%*	*10.3%*	*100.0%*
योग	संख्या	14	101	13	16	144
	प्रतिशत	*9.7%*	*70.1%*	*9.0%*	*11.1%*	*100.0%*

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

सारणी–9 से यह स्पष्ट होता है 14 केन्द्रों (9.7 प्रतिशत) की कार्यकर्त्ता का कहना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता पिछले 3 माह में केन्द्र पर पर एक बार भी नहीं आयी। संगरिया व टिब्बी के 7 कार्यकर्त्ताओं (23 प्रतिशत केन्द्र) का कहना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता कभी निरीक्षण के लिए जाती ही नहीं है। तारानगर व नोहर के भी 3–3 केन्द्रों पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता पिछले तीन माह में एक बार भी नहीं आयी। तारानगर के 8 केन्द्रों (27 प्रतिशत) पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता माह में दो बार निरीक्षण के लिए आती है। लगभग 70 प्रतिशत केन्द्रों का यह कहना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता केन्द्र पर माह में एक बार आती है। संगरिया–टिब्बी तथा तारानगर में क्रंमश 53 प्रतिशत व 57 प्रतिशत केन्द्रो पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता माह में एक बार आती है। देवली–उनियारा मे 90 प्रतिशत केन्द्रो पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता माह में एक बार आती है।

5. केन्द्रों का अवलोकन व निरीक्षण

आँगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन व निरीक्षण के लिये महिला सुपरवाइजर व ब्लाक बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) विभाग की तरफ से जिम्मेदार होते है। इसमें महिला सुपरवाइजर की भुमिका महत्वपूर्ण होती है। वह समय–समय केन्द्र पर जाकर कार्यकर्त्ता के काम को देखती है तथा केन्द्र पर आने वाली समस्याओ के समाधान में कार्यकर्त्ता की मदद करती है। समुदाय के साथ मिटिंग करती है। यही भूमिका सी.डी.पी.ओ. की होती है। ग्राम पंचायत के सरपंच जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी भूमिका हैं की वह केन्द्र पर नियमित रूप से जाकर कार्यकर्त्ता के काम में सहयोग करें।

अध्ययन के दौरान कार्यकर्त्ता से विगत तीन माह में सुपरवाजर, सी.डी.पी.ओ. व सरपंच के द्वारा किये गये निरीक्षण व अवलोकन की जानकारी मांगी गई तथा सर्वेकर्ता द्वारा निरीक्षण रजिस्टर का अवलोकन किया गया।

5.1 सुपरवाइजर द्वारा केन्द्र का निरीक्षण

आई.सी.डी.एस. योजना के अर्न्तगत केन्द्रों पर सुपरवाइज़र द्वारा केन्द्रों के निरीक्षण की व्यवस्था भी की गई है। अध्ययन में सुपरवाइजर द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों की स्थिति को भी जानने का प्रयास किया गया है। सर्वे के दौरान पता चला कि कुछ आँगनबाड़ी केन्द्रों पर सुपरवाइजर द्वारा निरीक्षण किए ही नहीं जाते हैं।

केन्द्रों पर सुपरवाइजर द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों की स्थिति का विश्लेषण सारणी 10 में किया गया है। 31 प्रतिशत केन्द्रो पर पिछले तीन माह में सुपरवाइजर एक बार भी नहीं आयी। तारानगर के 77 प्रतिशत केन्द्रों पर सुपरवाइजर आते ही नहीं हैं। 30 प्रतिशत केन्द्रों पर सुपरवाइजर माह में दो बार आती है। नोहर में 63 प्रतिशत केन्द्रों पर सुपर वाइजर माह में दो बार आती है। नहीं सिरोही में 28 प्रतिशत केन्द्रो पर दो बार आती है। मात्र 4 केन्द्र पर ऐसे थे जहाँ सुपरवाइजर माह में तीन या तीन से अधिक बार केन्द्र पर आती है। तारानगर में 13 प्रतिशत केन्द्रों पर ही सुपरवाइजर माह में एक से दो बार आते हैं।

सारणी–10 सुपरवाइजर द्वारा केन्द्रों का निरीक्षण

विधान सभा क्षेत्र		कभी नहीं आते	1से 2 बार	माह में एक बार	माह में 3 या 3 से बार से अधिक	कुल योग
तारानगर	संख्या	23	4	2	1	30
	प्रतिशत	*76.7%*	*13.3%*	*6.7%*	*3.3%*	*100.0%*
संगरिया टिब्बी	संख्या	6	6	18	0	30
	प्रतिशत	*20.0%*	*20.0%*	*60.0%*	*.0%*	*100.0%*
नोहर	संख्या	6	19	4	1	30
	प्रतिशत	*20.0%*	*63.3%*	*13.3%*	*3.3%*	*100.0%*
सिरोही	संख्या	4	7	13	1	25
	प्रतिशत	*16.0%*	*28.0%*	*52.0%*	*4.0%*	*100.0%*
देवली उनियारा	संख्या	6	7	15	1	29
	प्रतिशत	*20.7%*	*24.1%*	*51.7%*	*3.4%*	*100.0%*
योग	संख्या	45	43	52	4	144
	प्रतिशत	*31.2%*	*29.9%*	*36.1%*	*2.8%*	*100.0%*

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

सर्वे के दौरान अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि टोंक जिले के उनियारा विधानसभा क्षेत्र में खातोली ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले गांवों में चलने वाले सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में सुपरवाइजर निरीक्षण के लिए नहीं गई, बल्कि उन केन्द्रों की कार्यकर्त्ताओं को खातोली के आँगनबाड़ी केन्द्र पर बुला कर वहीं सबके मीटिंग एक साथ कर ली। जिसमें सुपरवाइजर ने सभी केन्द्रों के मीटिंग रजिस्टरों पर एक साथ हस्ताक्षर कर दिए।

5.2 बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ) द्वारा निरीक्षण

योजना में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा केन्द्रों पर निरीक्षण किए जाने की भी व्यवस्था है। बालविकास परियोजना अधिकारी द्वारा केन्द्रों पर निरीक्षण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके निरीक्षण से सुपरवाइजर, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता आदि सभी जागरूक रहते हैं व नियमित रूप से अपने कार्य करते हैं। जिससे केन्द्र व्यवस्थित रूप से संचालित होते हैं। नियमित निरीक्षणों से एक फायदा यह भी होता है कि केन्द्रों पर आने वाली समस्याओं से बाल विकास परियोजना अधिकारी को समय समय पर अवगत करा दिया जाता है, जिससे उनका समाधान हो सके।

सारणी–11 सी.डी.पी.ओ. द्वारा निरीक्षण

विधान सभा क्षेत्र		कभी नहीं आते	माह में एक बार	माह में 2 बार	माह में 3 या 3 से बार से अधिक	कुल योग
तारानगर	संख्या	17	6	5	2	30
	प्रतिशत	*56.7%*	*20.0%*	*16.7%*	*6.7%*	*100.0%*
संगरिया टिब्बी	संख्या	21	4	5	0	30
	प्रतिशत	*70.0%*	*13.3%*	*16.7%*	*.0%*	*100.0%*
नोहर	संख्या	26	1	3	0	30
	प्रतिशत	*86.7%*	*3.3%*	*10.0%*	*.0%*	*100.0%*
सिरोही	संख्या	12	4	9	0	25
	प्रतिशत	*48.0%*	*16.0%*	*36.0%*	*.0%*	*100.0%*
देवली उनियारा	संख्या	25	0	4	0	29
	प्रतिशत	*86.2%*	*.0%*	*13.8%*	*.0%*	*100.0%*
योग	संख्या	101	15	26	2	144
	प्रतिशत	*70.1%*	*10.4%*	*18.1%*	*1.4%*	*100.0%*

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

सारणी–11 के अध्ययन से स्पष्ट होता हैं कि केन्द्रों पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के निरीक्षण की स्थिति अच्छी नहीं है। नोहर के 87 प्रतिशत केन्द्र, देवली उनियारा के 86 प्रतिशत केन्द्र और संगरिया–टिब्बी के 70 प्रतिशत केन्द्र ऐसे हैं जहाँ बाल विकास परियोजना अधिकारी निरीक्षण के लिए जाते ही नहीं हैं। निरीक्षण ना किए जाने के कारणों के बारे जानकारी ली गई तो पता चला कि एक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास पूरे ब्लॉक के केन्द्रों का चार्ज होता है और एक ब्लॉक में लगभग 300 से 400 केन्द्र होते हैं, जिनका निरीक्षण करना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा आई. सी. डी. एस. कार्यालय की केन्द्रों से दूरी भी ज्यादा होती है, अतः बाल विकास परियोजना अधिकारी केन्द्रों का निरीक्षण करने के लिए जाते ही नहीं हैं।

5.3 सरपंच द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण

आँगनबाड़ी केन्द्रों के बेहतर संचालन में गांव के सरपंच की भी अहम भूमिका होती है। साथ ही गांव में आँगनबाड़ी केन्द्र के खुलने, कार्यकर्त्ता व सहायिका की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी सरपंच मुख्य भूमिका निभाता है। केन्द्र पर संचालित होने वाली सारी गतिविधियाँ सरपंच की निगरानी में ही होती हैं। केन्द्र पर आने वाली समस्याओं को दूर करने में भी सरपंच सहायता करता है। इन सारे कार्यों को करने के लिए सरपंच नियमित रूप से केन्द्रों का निरीक्षण करते हैं। अध्ययन में सरपंचों के द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों की स्थिति को भी जानने का प्रयास किया गया।

सारणी–12 सरपंच द्वारा केन्द्र का निरीक्षण

विधान सभा क्षेत्र		कभी नहीं आते	माह में एक बार	माह में 2 बार	माह में 3 या 3 से बार से अधिक	कुल योग
तारानगर	संख्या	13	9	3	5	30
	प्रतिशत	*43.3%*	*30.0%*	*10.0%*	*16.7%*	*100.0%*
संगरिया टिब्बी	संख्या	10	10	8	2	30
	प्रतिशत	*33.3%*	*33.3%*	*26.7%*	*6.7%*	*100.0%*
नोहर	संख्या	7	15	4	4	30
	प्रतिशत	*23.3%*	*50.0%*	*13.3%*	*13.3%*	*100.0%*
सिरोही	संख्या	6	14	2	3	25
	प्रतिशत	*24.0%*	*56.0%*	*8.0%*	*12.0%*	*100.0%*
देवली उनियारा	संख्या	5	12	7	5	29
	प्रतिशत	*17.2%*	*41.4%*	*24.1%*	*17.2%*	*100.0%*
योग	संख्या	41	60	24	19	144
	प्रतिशत	*28.5%*	*41.7%*	*16.7%*	*13.2%*	*100.0%*

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

सारणी–12 में विधानसभा क्षेत्रवार सरपंचों द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण की स्थिति को दर्शाया गया। तारानगर के 43 प्रतिशत, संगरिया–टिब्बी के 33 प्रतिशत केन्द्रों, सिरोही के 24 प्रतिशत केन्द्रों व नोहर के 23 प्रतिशत केन्द्रों पर सरपंच कभी दौरे पर आते ही नहीं है। 42 प्रतिशत केन्द्रों पर सरपंच माह में एक बार तो अवश्य आते ही हैं। सिरोही के 56 प्रतिशत केन्द्रो पर व नोहर के 50 प्रतिशत केन्द्रों पर सरपंच माह में एक बार तो अवश्य आते ही हैं। 17 प्रतिशत (24 केन्द्रो) केन्द्रों पर सरपंच माह में दो बार आना की जानकारी मिली है। 13 प्रतिशत (19 केन्द्रो) केन्द्रों पर सरपंच माह में 3 या 3 से अधिक बार आना की जानकारी मिली है। जिससे सरपंचों की केन्द्रों के प्रति उदासीनता का पता चलता है। अध्ययन के दौरान यह भी देखने में आया कि सरपंचों को केन्द्रों के संचालन में स्वयं की भूमिका के बारे में जानकारी ही नहीं है। अतः केन्द्रों पर किसी प्रकार की समस्या आने अथवा अनियमितता होने पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पाते।

6. कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण

आँगनबाड़ी में कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति से पूर्व, कार्यकाल के दौरान व समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था परियोजना के अन्तर्गत की गई है। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्त्ताओं को परियोजना व उसके उद्देश्यों की जानकारी, केन्द्र के संचालन की प्रक्रिया, समय समय पर केन्द्र पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ आदि के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य इन गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए कार्यकर्त्ताओं को तैयार करना व अधिक से अधिक संख्या में बच्चों, गर्भवती महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित करना है। आई.सी.डी.एस. परियोजना द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की स्थिति को समझने के लिए कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण को तीन प्रकारों से समझने का

प्रयास किया गया । पहला कार्यकर्त्ताओं के चयन के समय प्रशिक्षण की अवधि, दूसरा कार्य के दौरान कार्यकर्त्ताओं का अभिमुखीकरण व तीसरा प्रशिक्षण दिए कितना समय हो गया आदि।

6.1 चयन के उपरान्त प्रशिक्षण

अध्ययन के दौरान पता चला कि कार्यकर्त्ताओं को चयन के पश्चात् केन्द्रों पर नियुक्त करने से पूर्व प्रशिक्षण दिया गया है। केन्द्रों के संचालन में कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की अहम् भूमिका होती है। सारणी–13 में कार्यकर्त्ताओं की प्रशिक्षण की स्थिति को दर्शाया गया है। 25 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं ने बताया की प्रशिक्षण के समय उन्हें 30 से कम दिनों का प्रशिक्षण दिया गया वहीं 36 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं ने 60 से अधिक दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करना बताया।

सारणी–13 चयन के उपरान्त प्रशिक्षण की अवधि

क्रम सं	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में)	कार्यकर्ताओं की संख्या	प्रतिशत
1	30 से कम	36	*25.00%*
2	31 से 45	16	*11.10%*
3	41से 60	40	*27.80%*
4	60 से अधिक	52	*36.10%*
5	कुल	144	*100.00%*

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

तारानगर, संगरिया व टिब्बी की केवल 17 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं को ही चयन के समय 60 दिन से अधिक अवधि का प्रशिक्षण दिया गया। संगरिया व टिब्बी की 60 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं को एक माह से भी कम अवधि का प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार 31 से 45 दिन की अवधि के प्रशिक्षण की अवधि देखें तो नोहर व तारानगर में 7 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं को व संगरिया व टिब्बी की 3 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं को 31 से 45 दिन का प्रशिक्षण दिया गया।

6.2 कार्य के दौरान प्रशिक्षण (अभिमुखीकरण)

परियोजना द्वारा समय समय नई नई जानकारियों से अवगत कराने के लिए कार्यकर्त्ताओं का अभिमुखीकरण किया जाता है। अभिमुखीकरण के दौरान कार्यकर्त्ताओं को दिए गए प्रशिक्षण का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 59 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं ने बताया कि उन्हें कार्य के दौरान 10 दिन से कम समयावधि का प्रशिक्षण दिया गया। 26 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं ने बताया कि उन्हें 10 से 20 दिन की अवधि का प्रशिक्षण दिया गया। 15 प्रतिशत (22 कार्यकर्त्ता) कार्यकर्त्ताओं ने कहा कि उन्हें 21 से अधिक दिन का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

कार्यकाल के दौरान कार्यकर्त्ताओं के अभिमुखीकरण की स्थिति को विधानसभा क्षेत्रवार विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि तारानगर में सबसे कम 23 प्रतिशत अभिमुखीकरण किया गया। संगरिया व टिब्बी तथा नोहर में एक माह की अवधि से अधिक का प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया। इसी प्रकार सिरोही व देवली उनियारा में भी कार्यकर्त्ताओं को एक माह की अवधि तक का प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया। नोहर में 1से 20 दिन की अवधि का प्रशिक्षण मात्र 17 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं को दिया गया।

सारणी सं. 16

क्रम सं	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में)	कार्यकर्ताओं की संख्या	प्रतिशत
1	10 से कम दिनों का	85	*59.00%*
2	10 से 20 दिन	37	*25.70%*
3	21 से 30 दिन	11	*7.60%*
4	30 दिन से अधिक	11	*7.60%*
5	कुल	144	*100.00%*

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

तारानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव काड़वास की कार्यकर्त्ता भतेरी देवी जिसने स्वयं को कक्षा 5 पास बताया, ने अध्ययनकर्त्ता को बताया कि हम तो सिर्फ नाश्ता व खाने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार अनेक केन्द्रों पर कार्यकर्त्ताओं की प्रशिक्षण के प्रति उदासीनता देखने को मिली।

7. केन्द्रो को राशि की उपलब्धता की स्थिति

आई.सी.डी.एस. परियोजना द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पका हुआ गर्म पोषाहार देने की व्यवस्था की गई है। पोषाहार पकाने के लिए राशन व ईंधन की आवश्यकता होती है। नियमानुसार यह प्रावधान है कि परियोजना द्वारा राशन व ईंधन के लिए राशि पूर्व में ही उपलब्ध करवा दी जानी चाहिए। परन्तु अध्ययन के दौरान केन्द्रों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार पाई गई–

7.1 पोषाहार राशि की उपलब्धता

केन्द्रों पर बच्चों को पोषाहार वितरित करने के लिए राशन में दाल, चावल, मसाले, तेल, ईंधन व अन्य सामग्रियों की जरूरत होती है। जिनके लिए राशि की पूर्व आवश्यकता होती है। परन्तु अध्ययन में यह पाया गया कि परियोजना द्वारा केन्द्रों को यह राशि कभी भी समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। केन्द्रों को उपलब्ध करवाई जाने वाली राशि की वस्तु स्थिति को सारणी 15 में दर्शाया गया है।

सारणी–15 पोषाहार की राशि की उपलब्धता

समयावधि	केन्द्रों की संख्या	प्रतिशत
महिने के शुरू में	10	6.9
बिल देने के एक माह बाद	33	22.9
बिल देने के दो माह बाद	20	13.9
बिल देने के 3–4 माह बाद	81	56.2
योग	**144**	**100.0**

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

अध्ययन में पाया गया कि मात्र 7 प्रतिशत केन्द्रों को ही समय पर राशि का भुगतान किया जाता है जबकि 56 प्रतिशत केन्दों पर कार्यकर्त्ता के बिल जमा कराने के तीन से चार माह बाद राशि का भुगतान किया जाता है। 14 प्रतिशत केन्दों पर बिल जमा कराने के दो माह बाद व 23 प्रतिशत केन्द्रों पर एक माह बाद भुगतान किया जाता है। राशि का भुगतान समय पर न होने के कारण केन्द्रों पर पोषाहार वितरण में काफी कठिनाइयां आती हैं। कार्यकर्त्ता को राशन के सामान या तो उधार में लाना पड़ता है या फिर स्वयं के पैसों से। अधिक समय होने पर राशन वाला भी राशन का सामान उधार देने से मना कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में पोषाहार वितरित करना काफी कठिन हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव बच्चों की उपस्थिति पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे केन्द्रों पर पोषाहार लेने के लिए ही आते हैं।

7.2 कार्यकर्त्ताओं द्वारा पोषाहार के राशन पर किए जाने वाले खर्च की भरपाई

अध्ययन के दौरान ज्ञात हुआ कि केन्द्र पर कार्यकर्त्ता द्वारा पोषाहार पकाने हेतु राशन लाने के लिये स्वयं के पास से या दुकानदार से उधार लाते है, कार्यकर्त्ता द्वारा किए जाने वाले खर्च की भरपाई समय पर नही होती जिसकी वजह से कार्यकर्त्ताओं को परेशानी का सामना करना पडता है। इस स्थिति के बारे में कार्यकर्त्ताओं से बातचीत की गई ।

सारणी–16 खर्च की भरपाई

	केन्द्रों की संख्या	प्रतिशत
हमेशा	86	59.7
कभी–कभी	39	27.1
बहुत ही कम	10	6.9
कभी नहीं	7	4.9
कह नहीं सकते	2	1.4
कुल योग	**144**	**100.0**

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार पकाने के राशन के लिए कार्यकर्त्ता स्वयं के पास से रुपये लगाती है। सारणी–16 में खर्च की भरपाई की स्थिति का दर्शाया गया है। 60 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं के अनुसार उनके खर्च की भरपाई हमेशा ही लेट होती है। 27 प्रतिशत केन्द्रों ने बताया कि खर्च की भरपाई कभी कभी ही समय पर होती है। 7 प्रतिशत केन्द्रों ने कहा कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि विभाग समय पर खर्चे की भरपाई करता हो। 5 प्रतिशत केन्द्र कहते हैं कि विभाग खर्चे की भरपाई कभी भी समय पर नहीं करते हैं। एक प्रतिशत केन्द्रों को इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। अध्ययन के दौरान कार्यकर्त्ताओं ने बताया कि खर्च की भरपाई में देरी होती है इसके साथ ही पूरी राशि का भुगतान भी नहीं किया जाता हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में अधिकाश कार्यकर्त्ताओं का कहना था कि हम जितने रुपये के

खर्च का हिसाब परियोजना कार्यालय को देते है वे हमेशा 400 से 700 रुपये कम कर भुगतान करते हैं जिसे कार्यकर्त्ता को अपनी जेब से भुगतना पड़ता है।

समय पर राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यकर्त्ताओं को राशन का सामान लाने के लिए स्वयं की जेब से पैसा लगाना पड़ता है। जिसका भुगतान विभाग तीन से चार माह बाद करता है। ऐसी स्थिति में पोषाहार वितरित करने में काफी कठिनाइयां आती हैं।

सारणी–17 स्वयं का रुपया लगाना

	केन्द्रों की संख्या	प्रतिशत
नहीं	64	44.4
हां	80	55.6
योग	**144**	**100.0**

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

अध्ययन में पाया गया कि 56 प्रतिशत केन्द्रों पर पोषाहार की राशि कार्यकर्त्ता अथवा सहायिका अपने पास से लगाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य पोषाहार का वितरण नियमित रूप से करना है, परन्तु राशि का भुगतान तीन से चार माह तक नहीं हो पाने के कारण कार्यकर्त्ताओं के लिए अधिक लम्बे समय तक राशि का व्यय वहन करना संभव नहीं हो पाता है। कार्यकर्त्ताओं का मानदेय भी समय पर नहीं मिलता, तो परिस्थितियां और अधिक गंभीर हो जाती हैं। सर्वेक्षण के दौरान विधानसभा क्षेत्र टोंक के ब्लॉक देवली के केन्द्र जूनिया, संतली, आवां, गैरौली, चन्दवाड़, उनियारा में पलाई, सिरोही के ग्राम गोल, शिवगंज ब्लॉक के गांव नारादरा, हनुमानगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र टिब्बी के गांव खाराखेड़ा, इन्द्रगढ़, संगरिया के गावं मालारामपुरा, किशनपुरा उतराधा आदि केन्द्रों पर कार्यकर्त्ताओं ने बताया कि उन्हें स्वयं का पैसा लगा कर राशन का सामान लाना पड़ता है, जिसका भुगतान तीन से चार माह बाद किया जाता है। इसमें भी कई कार्यकर्त्ताओं ने बताया कि 2 हजार से 2.5 हजार रुपये का सामान उधार ले रखा है।

अध्याय–4

माताओं के साथ चर्चा

इस अध्याय में सर्वेक्षण के दौरान छः वर्ष से कम आयु के बच्चों की माताओं के साथ किये गये साक्षात्कार का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान हमने उन माताओं से साक्षात्कार किया जिनके बच्चे आँगनबाड़ी केन्द्र पर नामांकित है तथा जिनके बच्चे केन्द्र पर नामांकित नहीं है।

नामांकित व गैर नामांकित बच्चों की माताओं से साक्षात्कार के लिये चयन हेतु सर्वप्रथम केन्द्र से नामांकन रजिस्ट्रर से बच्चों के नाम लिये गये तथा प्रत्येक केन्द्र से 5 से 6 माताओं का चयन किया गया। चयन का मुख्य आधार जाति को रखा गया और यह प्रयास किया गया कि इसमें सभी वर्ग की माताओं को इसमें शामिल किया जा सके।

केन्द्र पर नामांकित बच्चों की माताओं के साथ साक्षात्कार

आँगनबाड़ी केन्द्रो के बारे में माताओं की जानकारी, उपयोगिता, महत्व, जागरूकता आदि की स्थिति को समझने के लिए केन्द्रों पर नामांकित बच्चों की माताओं से भी साक्षात्कार लिए गए। जिसमें यह जानने का प्रयास किया गया कि नामांकित बच्चों की माताएं बच्चों को केन्द्रों पर भेजने, केन्द्रों की गतिविधियों, उसके खुलने व बंद होने के समय आदि के बारे में कितनी जानकारी रखती हैं। सर्वेक्षण के दौरान पांचों विधानसभा क्षेत्र में 512 माताओं से साक्षात्कार किया गया। इस साक्षात्कार में 48 प्रतिशत बालक (247) व 52 प्रतिशत बालिकाओं (265) जो केन्द्र पर नामांकित थी उनकी माताओं से साक्षात्कार किया गया। साक्षात्कार में 42 प्रतिशत परिवार ए.पी.एल. कार्ड, 52 प्रतिशत परिवार बी.पी.एल. कार्ड तथा 6 प्रतिशत परिवार ए.ए.वाई. कार्ड धारक हैं।

विधानसभा क्षेत्रवार साक्षात्कार महिलाओं की संख्या

पांच विधानसभा क्षेत्रों के 144 गांवों के बच्चों की 512 माताओं से साक्षात्कार लिए गए। तारानगर की 15 प्रतिशत, संगरिया–टिब्बी की 20 प्रतिशत, नोहर की 25 प्रतिशत, सिरोही की 19 प्रतिशत व देवली उनियारा की 22 प्रतिशत महिलाओं का साक्षात्कार लिया गया जिनके बच्चे केन्द्र पर नामांकित थे। तारानगर में कई गावों में महिलाओं ने सर्वेकर्ता के साथ बातचीत नहीं की उनका कहना था कि हमारे यहाँ आँगनबाड़ी केन्द्र तो खुलता नहीं है तो हम आपको क्या बताऐं।

सारणी–17 विधानसभा क्षेत्रवार साक्षात्कार में शामिल महिलाएं

क्रम. स.	विधान सभा क्षेत्र	संख्या	प्रतिशत
1	तारानगर	75	14.6
2	संगरिया व टिब्बी	104	20.3
3	नोहर	126	24.6
4	सिरोही	95	18.6
5	देवली उनियारा	112	21.9
6	योग	512	100.0

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

1. क्या बच्चा आँगनबाड़ी केन्द्र पर नामांकित है?

केन्द्र पर नामांकित बच्चों की माताओं से सर्वे के दौरान यह जानने का प्रयास किया गया कि उनका बच्चा केन्द्र में नामांकित है अथवा नहीं इसकी जानकारी माताओं को हैं अथवा नहीं। सारणी–19 के आधार पर 95 प्रतिशत माताओं ने यह माना कि उनका बच्चा केन्द्र पर नामांकित है। 3 प्रतिशत माताओं ने बताया कि उनका बच्चा केन्द्र पर नामांकित नहीं है परन्तु आँगनबाड़ी केन्द्र में उसका नाम लिखा हुआ है इसकी जानकारी बच्चे की माता को नहीं थी। शेष दो प्रतिशत माताओं को यह जानकारी हीं नहीं है कि उनका बच्चा आँगनबाड़ी केन्द्र पर नामांकित हैं।

सारणी–19 बच्चा आँगनबाड़ी में नामांकित है।

	संख्या	प्रतिशत
पता नहीं	13	2.5
हां	484	94.5
नहीं	15	2.9
योग	512	100.0

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

2 बच्चा कितनी बार आँगनबाड़ी केन्द्र जाता है?

साक्षात्कार के दौरान माताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया कि उनका बच्चा नियमित रूप से आँगनबाड़ी जाता है अथवा नहीं। 57 प्रतिशत माताओं ने बताया कि उनका बच्चा नियमित रूप से आँगनबाड़ी जाता है, जबकि 34 प्रतिशत माताओं का कहना है कि उनका बच्चा कभी कभी आँगनबाड़ी जाता है। 7 प्रतिशत माताएं यह मानती हैं कि उनका बच्चा बहुत ही कम जाता है तथा 2 प्रतिशत माताओं का यह कहना है कि उनका बच्चा आँगनबाड़ी कभी नहीं जाता है।

सारणी–20 बच्चों का केन्द्र पर जाना

	संख्या	प्रतिशत
नियमित	293	57.2%
कभी–कभी	175	34.2%
बहुत ही कम	36	7.0%
कभी नहीं	8	1.6%
Total	**512**	**100.0%**

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

सारणी–20.1 में बच्चों के आँगनबाड़ी केन्द्र जाने की विधानसभा क्षेत्रवार स्थिति दर्शाया गया है। सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है 57 प्रतिशत माताओं के अनुसार उनके बच्चे नियमित आँगनबाड़ी केन्द्र जाते है। 34 प्रतिशत माताओं ने कहा कि कभी–कभी केन्द्र पर जाते है। मात्र 7 प्रतिशत माताओं ने ही कहा की उनके बच्चे बहुत कम आँगनबाड़ी केन्द्र जाते है।

सारणी–20.1 विधानसभा क्षेत्रवार बच्चों का केन्द्र पर जाना

विधान सभा क्षेत्र		नियमित	कभी–कभी	बहुत ही कम	कभी नहीं	योग
तारानगर	संख्या	18	41	13	3	75
	प्रतिशत	*24.00%*	*54.67%*	*17.33%*	*4.00%*	*100.00%*
संगरिया टिब्बी	संख्या	59	34	7	4	104
	प्रतिशत	*56.73%*	*32.69%*	*6.73%*	*3.85%*	*100.00%*
नोहर	संख्या	80	42	4	0	126
	प्रतिशत	*63.49%*	*33.33%*	*3.17%*	*0.00%*	*100.00%*
सिरोही	संख्या	70	20	4	1	95
	प्रतिशत	*73.68%*	*21.05%*	*4.21%*	*1.05%*	*100.00%*
देवली उनियारा	संख्या	66	38	8	0	112
	प्रतिशत	*58.93%*	*33.93%*	*7.14%*	*0.00%*	*100.00%*
योग	संख्या	293	175	36	8	512
	प्रतिशत	*57.23%*	*34.18%*	*7.03%*	*1.56%*	*100.00%*

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

तारानगर के मात्र 24 प्रतिशत माताओं ने कहा की उनके बच्चे नियमित रूप से केन्द्र पर जाते हैं, 55 प्रतिशत ने कभी कभी 17 प्रतिशत माताओं ने कहा की बहुत ही कम केन्द्र पर जाते है। 4 प्रतिशत माताओं ने उनका बच्चा केन्द्र पर बच्चे कभी जाते ही नहीं हैं। सिरोही में 74 प्रतिशत माताओं ने कहा की उनका बच्चा नियमित केन्द्र जाता है। संगरिया व टिब्बी के भी 4 प्रतिशत केन्द्र ऐसे हैं जहाँ बच्चे कभी जाते ही नहीं हैं।

3 आँगनबाड़ी केन्द्रों की खुलने व बंद होने स्थिति :

आंगनबाड़ियों के खुलने की स्थिति देखें तो अध्ययन के दौरान माताओं ने बताया कि कुछ आंगनबाड़ियां तो खुलती ही नहीं हैं, कुछ कभी कभार खुलती हैं, लेकिन वहाँ भी कार्यकर्त्ता पोषाहार बांट कर घर चली जाती है। अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 80 प्रतिशत माताओं का कहना है आँगनबाड़ी केन्द्र 21 दिन से अधिक खुलता हैं। 6 प्रतिशत माताओं का कहना हैं कि आँगनबाड़ी केन्द्र खुलता ही नहीं हैं।

सारणी–21 एक महीने में आँगनबाड़ी कितने दिन खुलती है

समय अवधि	संख्या	प्रतिशत
कभी नहीं	33	6.4
1 से 10 दिन	6	1.2
11 से 15 दिन	11	2.1
16 से 20 दिन	53	10.4
21 दिन से अधिक	409	79.9
कुल	512	100.0

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

एक प्रतिशत का कहना है कि आँगनबाड़ी 10 दिन व 2 प्रतिशत माताओं का कहना है आँगनबाड़ी केन्द्र 15 से 20 दिनों के लिए खुलती हैं। 10 प्रतिशत माताओं का कहना था कि आँगनबाड़ी केन्द्र 16 से 20 दिनों के लिए खुलती हैं।

सारणी–21.1 विधानसभा क्षेत्रवार एक महीने में आँगनबाड़ी कितने दिन खुलती है

विधान सभा क्षेत्र		कभी नहीं	1 से 10 दिन	11 से 15 दिन	16 से 20 दिन	21 दिन से अधिक	कुल
तारानगर	संख्या	14	3	2	21	35	75
	प्रतिशत	*18.7%*	*4.0%*	*2.7%*	*28.0%*	*46.7%*	*100.0%*
संगरिया टिब्बी	संख्या	14	1	1	12	76	104
	प्रतिशत	*13.5%*	*1.0%*	*1.0%*	*11.5%*	*73.1%*	*100.0%*
नोहर	संख्या	1	2	2	9	112	126
	प्रतिशत	*.8%*	*1.6%*	*1.6%*	*7.1%*	*88.9%*	*100.0%*
सिरोही	संख्या	2	0	3	9	81	95
	प्रतिशत	*2.1%*	*.0%*	*3.2%*	*9.5%*	*85.3%*	*100.0%*
देवली उनियारा	संख्या	2	0	3	2	105	112
	प्रतिशत	*1.8%*	*.0%*	*2.7%*	*1.8%*	*93.8%*	*100.0%*
योग	संख्या	33	6	11	53	409	512
	प्रतिशत	*6.4%*	*1.2%*	*2.1%*	*10.4%*	*79.9%*	*100.0%*

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

सारणी–21.1 में विधानसभा क्षेत्र के आधार पर आंगनबाड़ियों के खुलने की स्थिति को देखें तो पता चलता है कि तारानगर में आंगनबाड़ियों की स्थिति सबसे खराब है। वहाँ सर्वाधिक 19 प्रतिशत माताओं ने कहा कि आंगनबाड़ियां कभी खुलती ही नहीं है। इसी प्रकार संगरिया–टिब्बी में भी 14 प्रतिशत माताओं का कहना था यहाँ आंगनबाड़ियां कभी नहीं खुलती। देवली–उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 94 प्रतिशत माताओं का कहना है आँगनबाड़ी केन्द्र 21 दिन से अधिक खुलता हैं। नोहर में 89 प्रतिशत व सिरोही में 85 प्रतिशत माताओं का कहना है आँगनबाड़ी केन्द्र 21 दिन से अधिक खुलता हैं।

4. आँगनबाड़ी लगभग कितने घंटे खुलती है?

सारणी–22 में केन्द्र कितने घंटे खुलता है इस आधार पर माताओं के जवाब को दर्शाया गया है। आंगनबाड़ियों के खुलने की स्थिति को घंटों के आधार पर देखें तो 6 प्रतिशत (33 माताओं) माताओं के अनुसार आंगनबाड़ियां कभी खुलती ही नहीं हैं। 20 प्रतिशत (102) माताओं के अनुसार केन्द्र जब भी खुलता है तो वह 1 से 2 घंटे ही खुलता है। 25 प्रतिशत (126) माताओं के अनुसार केन्द्र 2 से 3 घंटे खुलता है। 49 प्रतिशत माताओं के अनुसार केन्द्र जब भी खुलता है तो वह 3 से 4 घंटे खुलता है।

सारणी–22 केन्द्र कितने घंटे खुलती है

	संख्या	प्रतिशत
कभी नहीं	33	6.4%
1 से 2 घंटे	102	19.9%
2 से 3 घंटे	126	24.6%
3 से 4 घंटे	251	49.0%
योग	512	100.0%

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

सारणी–22.1 में विधानसभा क्षेत्र के आधार पर आंगनबाड़ियों के खुलने के घंटों की स्थिति को दर्शाया गया है। तारानगर में 18 प्रतिशत व संगरिया टिब्बी में 14 प्रतिशत माताओं के अनुसार केन्द्र खुलते ही नहीं हैं। तारानगर मे 31 प्रतिशत माताओं के अनुसार केन्द्र 3 से 4 घंटे के लिए खुलते हैं तथा 33 प्रतिशत के अनुसार केन्द्र मात्र एक से दो घंटे के लिए खुलते हैं। देवली–उनियारा में 61 प्रतिशत माताओं के अनुसार केन्द्र 3 से 4 घंटे के लिए खुलते हैं। नोहर में 52 प्रतिशत माताओं के अनुसार तथा सिरोही में 54 प्रतिशत माताओं के अनुसार केन्द्र 3 से 4 घन्टे खुलते है। सिरोही में ही 25 प्रतिशत माताओं के अनुसार केन्द्र 1 से 2 घन्टे खुलते है।

सारणी–22 विधानसभा क्षेत्रवार केन्द्र कितने घंटे खुलते है

विधान सभा क्षेत्र		कभी नहीं	1 से 2 घंटे	2 से 3 घंटे	3 से 4 घंटे	योग
तारानगर	संख्या	14	25	13	23	75
	प्रतिशत	*18.7%*	*33.3%*	*17.3%*	*30.7%*	*100.0%*
संगरिया टिब्बी	संख्या	14	19	27	44	104
	प्रतिशत	*13.5%*	*18.3%*	*26.0%*	*42.3%*	*100.0%*
नोहर	संख्या	1	25	35	65	126
	प्रतिशत	*0.8%*	*19.8%*	*27.8%*	*51.6%*	*100.0%*
सिरोही	संख्या	2	24	18	51	95
	प्रतिशत	*2.1%*	*25.3%*	*18.9%*	*53.7%*	*100.0%*
देवली उनियारा	संख्या	2	9	33	68	112
	प्रतिशत	*1.8%*	*8.0%*	*29.5%*	*60.7%*	*100.0%*
योग	संख्या	33	102	126	251	512
	प्रतिशत	*6.4%*	*19.9%*	*24.6%*	*49.0%*	*100.0%*

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

5 आँगनबाड़ी के कार्य दिवस पर बन्द रहने के मुख्य कारण

सर्वे के दौरान नामांकित बच्चों की माताओं से आँगनबाड़ी केन्द्र बन्द रहने के कारणों के बारे में पुछा गया। सारणी–23 में केन्द्र नहीं खुलने के कारणों को दर्शाया गया है। 96 प्रतिशत माताओं के अनुसार केन्द्र बन्द रहने का मुख्य कारण कार्यकर्त्ताओं का नहीं आना प्रमुख है। 512 माताओं में 60 प्रतिशत माताऐं मानती हैं कि केन्द्र पर पोषाहार नहीं होने के कारण बंद रहते हैं। 21 प्रतिशत माताएं केन्द्र प्राकृतिक समस्याओं जैसे कि फसल की कटाई, बरसात, प्राकृतिक विपदा, चुनाव आदि को भी केन्द्र बन्द रहने का कारण मानती है। 15 प्रतिशत माताऐं मानती हैं कि सहायिका के न आने के कारण भी केन्द्र बंद रहते हैं।

सारणी–25 आगंनबाड़ी केन्द्र का खुलने के कारण

क्रम सं.	कारण	संख्या	प्रतिशत
1	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता नहीं आती है	489	95.5%
2	आंगनवाड़ी सहायक नहीं आती हैं	76	14.8%
3	भोजन उपलब्ध नहीं होता है	305	59.6%
4	अन्य कारण जैसे कि फसल की कटाई, बरसात, प्राकृतिक विपदा, चुनाव आदि	109	21.3%

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

6 आँगनबाड़ी में बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी

सर्वेक्षण में शामिल 512 माताओं से आँगनबाड़ी केन्द्र पर मिलने वाली सेवाओं के बारे में पूछा गया। ग्राफ–5 के अनुसार मात्र 19 प्रतिशत माताओं को केन्द्र पर मिलने वाली समस्त सेवाओं के बारे में जानकारी थी। 80 प्रतिशत माताओं को केन्द्र पर नियमित रूप से पोषाहार वितरण होने की जानकारी थी। 66 प्रतिशत माताओं ने बताया कि केन्द्र पर पोषाहार के साथ बच्चों को केन्द्र पर खेल व पढ़ाई भी करवाते है। 65 प्रतिशत माताओं ने केन्द्र पर स्वास्थ्य जांच होना व 62 प्रतिशत माताओं ने केन्द्र पर टीकाकरण होने की जानकारी दी। आँगनबाड़ी केन्द्र पर रेफरल सेवाओं के बारे में 21 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी थी।

ग्राफ–5 आँगनबाड़ी में बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी

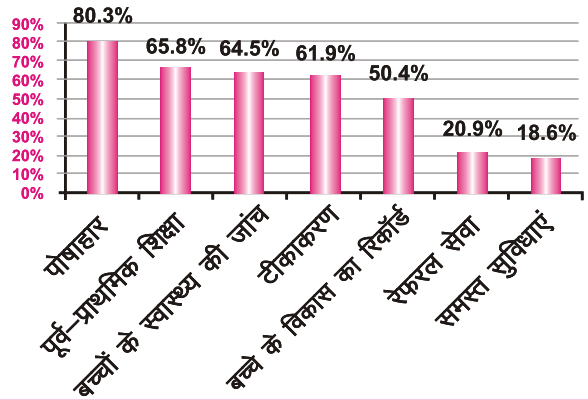

सारणी–26 विधानसभा क्षेत्रवार केन्द्र पर ही दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी

विधान सभा क्षेत्र		पोषाहार	पूर्व–प्राथमिक शिक्षा	बच्चों के स्वास्थ्य की जांच	टीकाकरण	बच्चे के विकास व उसका रिकार्ड रखना	रेफरल सुविधा सलाह	समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है।
तारानगर	संख्या	52	40	36	33	30	13	7
	प्रतिशत	*69.3%*	*53.3%*	*48.0%*	*44.0%*	*40.0%*	*17.3%*	*9.3%*
संगरिया टिब्बी	संख्या	76	76	62	56	66	29	29
	प्रतिशत	*73.1%*	*73.1%*	*59.6%*	*53.8%*	*63.5%*	*27.9%*	*27.9%*
नोहर	संख्या	100	83	97	90	64	9	15
	प्रतिशत	*79.4%*	*65.9%*	*77.0%*	*71.4%*	*50.8%*	*7.1%*	*11.9%*
सिरोही	संख्या	75	65	61	56	48	30	7
	प्रतिशत	*78.9%*	*68.4%*	*64.2%*	*58.9%*	*50.5%*	*31.6%*	*7.4%*
देवली उनियारा	संख्या	108	73	74	82	50	26	37
	प्रतिशत	*96.4%*	*65.2%*	*66.1%*	*73.2%*	*44.6%*	*23.2%*	*33.0%*
योग	संख्या	411	337	330	317	258	107	95
	प्रतिशत	*80.3%*	*65.8%*	*64.5%*	*61.9%*	*50.4%*	*20.9%*	*18.6%*

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

सारणी–26 में विधानसभा क्षेत्रवार माताओं को केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी के स्तर को दर्शाया गया है। देवली उनियारा क्षेत्र में 33 प्रतिशत व संगरिया टिब्बी में 28 प्रतिशत माताओं ने कहा कि उनके केन्द्रो पर सभी सुविधाऐं मिलती है। देवली उनियारा में 96 प्रतिशत माताओं नें कहा कि उनके केन्द्र पर पोषाहार मिलता ही नहीं। तारानगर में 69 प्रतिशत माताओं ने ही कहा कि उनके केन्द्र पर पोषाहार मिलता है। नोहर में 77 प्रतिशत माताओं ने स्वास्थ्य जाँच होना बताया है। देवली–उनियारा व नोहर में सर्वाधिक माताओं ने कहा कि उनके केन्द्रों पर टीकाकरण होता है। यहाँ क्रमश 75 प्रतिशत व 71 प्रतिशत माताओं ने केन्द्र पर टीकाकरण होना स्वीकारा है।

7 केन्द्र पर बच्चों का वजन लेना

आँगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक बच्चे का हर महिने वजन लेना होता है। सारणी–27 में माताओं को बच्चे के वजन लेने की जानकारी को दर्शाया गया है। 72 प्रतिशत माताओं ने कहा कि उनके बच्चों वजन किया जाता है। वहीं 19 प्रतिशत माताओं का कहना था कि उनके बच्चों का वजन होता है इसकी उनको जानकारी नहीं है। 9 प्रतिशत माताओं ने मना कर दिया कि उनके बच्चों का वजन नहीं होता है।

सारणी–27
केन्द्र पर बच्चों का वजन

	संख्या	प्रतिशत
हां	366	71.5%
नहीं	47	9.2%
कोई जानकारी नहीं	99	19.3%
	512	100.0%

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

सारणी 28 के अनुसार 67 प्रतिशत माताओं ने कहा कि उनके बच्चों का हर महिने मे वजन होता है। 15 प्रतिशत माताओं ने तीन महिने में एक बार वजन होने की बात कहीं। 5 प्रतिशत माताऐं कहती है कि साल में एक दो बार बच्चों का वजन लिया जाता है। वहीं 13 प्रतिशत माताऐं कहती है कि वह नहीं जानती की उनकों बच्चें का वजन कब लिया जाता है।

सारणी–28
बच्चों का वजन कितनी बार लिया जाता है

हर महीने	346	67.6%
हर तीन महीने मे	78	15.2%
साल में एक या दो बार	24	4.7%
देख नहीं पाए	64	12.5%
	512	100.0%

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

8 बच्चे के बीमार होने पर कार्यकर्त्ता की मदद

सर्वे के दौरान माताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया कि बच्चों के बीमार होने पर वे किस प्रकार से आँगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्त्ता से सहायता लेती हैं। मात्र 40 प्रतिशत महिलाओं ने ही बच्चों के बीमार होने पर आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता की सहायता ली। 34 प्रतिशत महिलाओं को केन्द्र से दवा

उपलब्ध करवाई गई। 38 प्रतिशत मामलों में महिलाओं को नज़दीक के स्वास्थ्य केन्द्र जाने की सलाह दी गई तथा 55 प्रतिशत मामलों में दस्त में ओ.आर.एस. का घोल लेने की सलाह दी गई।

सारणी–29 बच्चों की बीमारी में कार्यकर्त्ता की मदद

क्र.सं.		संख्या	प्रतिशत
1.	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता से सहायता ली	207	40.4
2.	दवाई दी	175	34.2
3.	नज़दीकी स्वास्थ्य केन्द्र ले जाने की सलाह दी	193	37.7
4.	दस्त में ओ. आर. एस. लेने की सलाह दी	280	54.7

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

नामांकित बच्चों की माताओं के साथ किये गये साक्षात्कार से यह निष्कर्ष निकला है कि जिन माताओं के बच्चे आँगनबाड़ी केन्द्र पर जाते है उनमें से अधिकांश माताओं को केन्द्र पर पोषाहार वितरण तक की जानकारी है। जो माताएं कार्यकर्त्ता के मकान के आसपास रहती हैं उन्हें अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिल जाता है। जो कुछ महिलाएं थोड़ी सी भी जागरूक हैं वे भी केन्द्र का लाभ ले लेती है।

अनामांकित बच्चों की माताओं के साथ साक्षात्कार

सर्वे के दौरान उन माताओं के साथ भी बातचीत की गई जिनके परिवार में छः वर्ष से कम आयु के बच्चे है परन्तु केन्द्र पर उनका नामांकन नहीं है। पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 426 माताओं से साक्षात्कार किया गया। सर्वे के दौरान तारानगर विधानसभा के 12 प्रतिशत (49 माताओं), संगरिया व टिब्बी के 24 प्रतिशत (100 माताओं) नोहर के 22 प्रतिशत (95 माताओं), सिरोही के 18 प्रतिशत (77 माताओं), देवली उनियारा के 25 प्रतिशत (105 माताओं) माताओं से साक्षात्कार लिए गए।

सारणी–30 विधानसभा क्षेत्रवार महिलाओं की संख्या

क्रम सं.	विधान सभा क्षेत्र	संख्या	प्रतिशत
1	तारानगर	49	11.5
2	संगरिया व टिब्बी	100	23.5
3	नोहर	95	22.3
4	सिरोही	77	18.1
5	देवली उनियारा	105	24.6
6	कुल	426	100.0

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

इसमें 205 माताओं (48 प्रतिशत) के छः वर्ष से कम आयु के बालक थे तथा 221 माताओं (52 प्रतिशत) के 6 वर्ष से कम आयु की बालिका थी, जो कि आँगनबाड़ी केन्द्र पर नामांकित नहीं थी। 207 (49 प्रतिशत) माताओं ने बताया कि उनके पास ए.पी.एल. कार्ड है, 193 (41 प्रतिशत) माताओं ने बताया कि वे बी.पी.एल. परिवारों के अर्न्तगत आते हैं। 26 (6 प्रतिशत) माताओं ने बताया कि उनके पास अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) का कार्ड है।

1. गांव में आँगनबाड़ी है?

अनामांकित बच्चों माताओं की आँगनबाड़ी में जानकारी के बारे में पता किया तो 95 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि गांव में आँगनबाड़ी केन्द्र हैं। 3 प्रतिशत माताओं को पता ही नहीं है कि गांव में आँगनबाड़ी है अथवा नहीं है। 2 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि वे कह नहीं सकती कि आँगनबाड़ी है अथवा नहीं है। (देखें सारणी–31)

सारणी–31
गांव में आँगनबाड़ी केन्द्र की जानकारी

	संख्या	प्रतिशत
कह नहीं सकते	8	1.9
हां	403	94.6
नहीं	15	3.5
योग	426	100

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

2. आँगनबाड़ी में केन्द्र में नाम दर्ज कराने के प्रति रुचि

बच्चों का नाम आँगनबाड़ी केन्द्र में दर्ज कराने के बारे में जब बच्चों की माताओं से पूछा गया तो 67 प्रतिशित माताओं ने केन्द्र पर बच्चों का नाम दर्ज कराने से मना कर दिया। 33 प्रतिशत माताओं ने कहा कि वे नाम दर्ज कराना चाहती हैं। (देखें सारणी–32)

सारणी–32
केन्द्र में नामांकन के प्रति रुचि

	संख्या	प्रतिशत
हां	140	32.9%
नहीं	286	67.1%
योग	426	100.0%

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

3. नामांकन के प्रति रुचि नहीं

नामाकंन कराने में अरुचि रखने वाली 100 प्रतिशत माताओं का कहना है कि आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को कोई लाभप्रद सुविधा नहीं मिलती, अतः इस कारण से वे केन्द्र पर बच्चों का नाम दर्ज नहीं करवाना चाहती। 67 प्रतिशत माताओं का मानना है कि आँगनबाड़ी बहुत ही कम खुलती है। 38 प्रतिशत माताएं यह कहती हैं कि आँगनबाड़ी बहुत दूर है, अतः वे बच्चों को केन्द्र पर नहीं भेजना चाहती हैं । 7 प्रतिशत माताएं जातिगत भेदभाव के कारण बच्चों को आँगनबाड़ी नहीं भेजना चाहती। (देखें सारणी–33)

सारणी–33 नामांकन नहीं कराने के कारण

क्रम. सं	कारण	संख्या	प्रतिशत
1	आंगनवाड़ी कोई भी लाभप्रद सुविधा नहीं देती	286	100%
2	आंगनवाड़ी बहुत ही कम खुलती है	193	67.6%
3	आंगनवाड़ी दूर है	109	38.1%
4	जाति के कारण हमारे बच्चों के साथ भेदभाव होता है	19	6.6%

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

4. नामांकन कराने के प्रति रुचि

जो माताएं बच्चों केन्द्र पर भेजना चाहती हैं वे केन्द्र पर मिलने वाली सुविधाओं के महत्व को समझती हैं। सभी महिलाएं यह मानती हैं कि केन्द्र पर मिलने वाली सुविधाएं लाभप्रद हैं अतः इस कारण वे बच्चों को केन्द्र पर भेजने की इच्छुक हैं। 98 प्रतिशत माताएं केन्द्र पर मिलने वाले पोषाहार के कारण बच्चों का केन्द्र पर नामांकन करवाना चाहती हैं। 62 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि केन्द्र पर कुछ घंटों के लिए बच्चों की देखभाल हो जाती है तथा खाने को भी मिल जाता है अतः बच्चों का केन्द्र पर नामाकंन करवाना चाहती हैं। 76 प्रतिशत महिलाएं पूर्व प्राथमिक शिक्षा का लाभ लेने हेतु अपने बच्चों को केन्द्र पर नामांकित करवाना चाहती हैं। (देखें सारणी–34)

सारणी–34 विधानसभा क्षेत्रवार महिलाओं की संख्या

क्रम. सं	कारण	सख्या	प्रतिशत
1	सुविधाएं लाभप्रद हैं	140	100%
2	भोजन देते हैं	138	98%
3	कुछ घंटों के लिए बच्चों की देखभाल करते हैं	87	62.1%
4	पूर्व–प्राथमिक शिक्षा देते हैं	107	76.4%

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

5. आँगनबाड़ी में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी

426 अनामांकित बच्चों की माताओं से आँगनबाड़ी केन्द्र पर पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में कितनी जानकारी है इसके बारे में पूछा गया। सारणी–35 में माताओं को सुविधाओं की जानकारी के स्तर को दर्शाया गया है।

सारणी–35
केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी

क्रम सं.	मद	संख्या	प्रतिशत
1	पोषाहार	215	50.5%
2	पूर्व–प्राथमिक शिक्षा	155	36.4%
3	बच्चों के स्वास्थ्य की जांच	95	22.3%
4	टीकाकरण	105	24.6%
5	बच्चे के विकास की देखरेख करना व उसका रिकार्ड रखना	86	20.2%
6	रेफरल/चिकित्सा केन्द्र जाने की सलाह	33	7.7%

स्रोत–फील्ड सर्वे के आधार पर

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को वितरित होने वाले पोषाहार की स्थिति के बारे में महिलाओं से पूछा गया तो पता चला कि 51 प्रतिशत माताओं को पता है कि केन्द्रों पर बच्चों को पोषाहार में क्या क्या दिया जाता है। 36 प्रतिशत माताएं ये जानती हैं कि बच्चों को केन्द्रों पर पोषाहार के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा भी दी जाती है। 22 प्रतिशत माताओं को पता है कि केन्द्रों पर बच्चों की नियमित स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है। 59 प्रतिशत महिलाओं को यह पता है कि उपरोक्त सभी सुविधाओं के अलावा केन्द्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मात्र 20 प्रतिशत माताएं ही केन्द्रों पर बच्चों के विकास से संबंधित रखे जाने वाले रिकॉर्ड के बारे में जानती हैं। 8 प्रतिशत महिलाओं ने यह भी बताया कि बच्चों की स्वास्थ्य जांच के दौरान उन्हें चिकित्सा केन्द्र रैफर किया गया/चिकित्सा केन्द्र ले जाने की सलाह दी गई।

❑❑❑

निष्कर्ष

आँगनबाड़ी केन्द्रों के अध्ययन से उभर कर आए कुछ सकारात्मक बिन्दु

1. आँगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार वितरण

टोंक जिले के देवली विधानसभा क्षेत्र आवां, बीजवाड, हनुमानगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र टिब्बी के पन्नीवाली तथा सिरोही जिले के सिरोही विधानसभा क्षेत्र के कृष्णगंज, जूनिया, गोल, कालन्द्री आदि आँगनबाड़ी केन्द्रों पर केन्द्र, विभाग (आई.सी.डी.एस.) व समुदाय में अच्छा समन्वय है, पोषाहार का वितरण नियमित रूप से, गुणवत्तापूर्ण एवं सही मात्रा में किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि ये केन्द्र गांव के पंचायत भवन में अथवा स्वयं के भवन में चल रहे हैं। जिसमें सरपंच, उपसरपंच नियमित रूप से आते रहते हैं तथा विभागीय अधिकारियों जैसे–सुपरवाइजर,,सी.डी.पी.ओ. आदि से भी चर्चा करते रहते हैं।

2. आँगनबाड़ी केन्द्र संचालन

सर्वे में पाया गया कि टोंक जिले के देवली विधानसभा क्षेत्र बीजवाड़, आवां, देवड़ावास, चन्दवाड़, मालेड़ा आदि आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नियमित रूप से हो रहा है वहाँ टीकाकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य परीक्षण, मासिक बैठक, पोषाहार वितरण, नियमित रिकॉर्ड भरना, बच्चों की पर्याप्त उपस्थिति आदि चीजें व्यवस्थित मिलीं।

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर विभिन्न बीमारियों से संबंधित दवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं सिरोही जिले के शिवगंज ब्लॉक के कृष्णगंज, जूनिया, पालड़ी एम, एवं सिरोही ब्लॉक के गोल, गोयली, हनुमानगढ़ जिले के संगरिया–टिब्बी ब्लॉक में हरिपुरा, चकप्रतापनगर भाखरावाली, मसीतावाली, मानक टिब्बी, नोहर ब्लॉक के गोगामेढी, सोनड़ी पथ, चूरू जिले के तारानगर विधानसभा क्षेत्र के भनीण, धीरवास छोटा व टोंक जिले के उनियारा व देवली ब्लॉक के ढिकोलिया, पचाला, बिलोटा व गौनरी आदि केन्द्रों पर गर्भवती व धात्री महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, नई नई बीमारियों के प्रति जागरूक करने संबंधी जानकारी, किशोरियों की समस्याओं का समाधान आदि कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किये जाने के कारण वहाँ की महिलाओं में इन बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ी है ।

- टोंक जिले के उनियारा व देवली ब्लॉक के ग्राम पंचाला, शोंप केन्द्रों का विभागीय स्तर पर निरीक्षण समय समय पर किया जाता है, वहाँ के रिकॉर्ड पूरी तरह से भरे हुए पाए गए।
- सर्वे में पाया गया कि सिरोही जिले के ब्लॉक शिवगंज में पोसालिया, जोगापुर, हनुमानगढ़ जिले के संगरिया–टिब्बी व नोहर ब्लॉक के गांव चकसरदारपुरा, हरीपुरा, सोनड़ी, चन्द्रावाली आदि केन्द्र गांव के विद्यालय भवन, पंचायत भवन अथवा स्वास्थ्य केन्द्रों के नज़दीक चल रहे हैं, अतः इन केन्द्रों की स्थितियां बेहतर पाई गई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी केन्द्रों पर शिक्षण सामाग्री समय समय पर दी जा रही है।
- कुछ केन्द्र जो स्वास्थ्य भवन के नज़दीक चल रहे हैं अथवा जहाँ की कार्यकर्त्ता व सहायिका सक्रिय रूप से कार्य करती हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण कार्यक्रम अथवा गर्भवती व धात्री महिलाओं के साथ समय समय पर नियमित बैठकें होती हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि केन्द्रों स्वास्थ्य परीक्षण व बैठकों के लिए सोमवार व गुरूवार का दिन निश्चित है। इसमें भी स्वास्थ्यकर्त्ता, चिकित्सक, गांव के पंच सरपंच की सक्रियता महत्तवपूर्ण भूमिका निभाती है।

3. विभागीय स्तर पर

- विधानसभा क्षेत्र नोहर के फेफाना, सोनड़ी, दलपतपुरा, से व टोंक विधानसभा क्षेत्र से पंचाला, शोंप हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संगरिया व टिब्बी के भगतपुरा, मसीतावाली आदि आँगनबाड़ी केन्द्रों पर

सुपरवाइजर द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है, अतः ये केन्द्र व्यवस्थित व नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं।

- नोहर विधानसभा क्षेत्र के फेफाना, चंगोई ग्राम, सिरोही विधानसभा क्षेत्र के सवराटा, टोंक विधानसभा क्षेत्र के पालड़ी एम व पालड़ी ग्राम,हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मल्लड़खेड़ा, जण्डवाला सिखान आदि केन्द्रों को छोड़कर अधिकांश केन्द्रों के लिए भवन की व्यवस्था पंचायत व महिला व बाल विकास विभाग के सहयोग करवाई गई है जिसके कारण केन्द्रों को भवन संबंधी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ा है।

आंगनबाड़ियों के संचालन में आने वाली समस्याएं

1.पोषाहार वितरण संबंधी समस्या

केन्द्रों पर वितरित किये जाने वाले पोषाहार की स्थिति पर नज़र डालें तो स्पष्ट होता है कि –

- हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भगतपुरा, भांखरावाली, संतपुरा, हरीपुरा और ढाबा, नोहर ब्लॉक के सोनड़ी, फेफाना, सरायण, दलपतपुरा, सिरोही विधानसभा क्षेत्र के गोयली, कालन्द्री ग्राम, टोंक विधानसभा क्षेत्र के पंचाला, ढिकोलिया, देवली गांव, चूरू जिले के तारानगर विधानसभा क्षेत्र के झाड़सर कान्दलान, भनीण, रैया टुण्डा, धीरवास छोटा आदि ग्राम पंचायतों के आँगनबाड़ी केन्द्रों के अलावा अधिकांश केन्द्रों पर कार्यकर्त्ता के समय पर न आने व बच्चों की उपस्थिति कम रहने के कारण पोषाहार का वितरण नियमित रूप से नहीं किया जाता है।
- सिरोही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोल, ओड़ा, मूंसरी के केन्द्रों पर पोषाहार गांव के ही पशु पालन करने वाले लोगों को बेच दिया जाता है, जो पशुओं को खिलाकर उनका दूध बढ़ाने के काम आता है।
- सिरोही विधानसभा क्षेत्र के उड़, माण्डवा, सवराटा, गोयली वबरलूट की आंगनबाड़ियों पर पोषाहार स्टॉक में पड़ा सड़ रहा है, तथा उसमें कीड़े पड़ गये हैं।
- अधिकतर आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की संख्या पर्याप्त पाई गई लेकिन पोषाहार कम दिया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि पोषाहार का कच्चा सामान कार्यकर्त्ता अथवा सहायिका स्वयं के पैसों से खरीदती हैं जबकि 6–8 माह तक उस राशि का भुगतान नहीं मिल पाने के कारण वे कम पोषाहार पकाती हैं व कम मात्रा ही वितरित करती हैं।

2. आँगनबाड़ी संचालन संबंधी समस्या

- आँगनबाड़ी केन्द्र देर से खुलते हैं व समय से पहले ही बंद हो जाते हैं।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति कम रहती है जिसके अनेक कारण हैं–
  - कुछ केन्द्र समुदाय/गांव से दूर अथवा मेन रोड़ पर या तालाब आदि के किनारे स्थित हैं।
  - अधिकांश केन्द्रों पर बिजली, पानी, शौचालय एवं बैठने की व्यवस्था का अभाव होने के कारण।
  - बच्चों को केन्द्र पर लाने के लिए सहायिका व कार्यकर्त्ता कोई प्रयास नहीं करती है।
  - निजी विद्यालयों द्वारा दो से ढाई वर्ष के बालकों को निःशुल्क बुलाया जाता है। माता पिता बड़े भाई बहनों के साथ इन छोटे बच्चों को भी निजी विद्यालयों में भेज देते हैं। इस कारण भी बच्चे आँगनबाड़ी में नहीं जाते हैं।

- माता पिता काम पर जाते हैं तो अपने साथ बच्चों को भी ले जाते हैं। अभिभावकों के काम के स्थान से बच्चों को ला पाना सहायिका के लिए संभव नहीं हो पाता है।

- कुछ केन्द्रों पर आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता अथवा सहायिका दोनों ही उपस्थित नहीं रहती हैं अथवा दोनों में से कोई एक उपस्थित रहती है।

- अधिकतर केन्द्रों पर रिकॉर्ड संबंधी अनियमितताएँ भी पाई गई हैं–

  - अधिकतर केन्द्रों पर रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं हैं। कार्यकर्त्ता अथवा सहायिका रिकॉर्ड को केन्द्र पर न रख कर घर पर रखती हैं।

  - कई केन्द्रों पर रिकॉर्ड नियमित रूप से भरे जाने के स्थान पर तीन–चार दिन में एक बार अथवा सप्ताह में एक बार भरे जाते हैं।

  - बच्चों की उपस्थिति कम होती है जबकि रिकॉर्ड में उपस्थिति पूरी दिखाई जाती है।

इसके अलावा सर्वे के लिए चुने गये अधिकांश सभी केन्द्र गांव से दूर होने के कारण, किराए के भवन में अथवा खुले में चलने, तथा गांव में निजी विद्यालय अधिक होने के कारण अच्छी नहीं स्थिति में नहीं चल रहे हैं।

आँगनबाड़ी केन्द्रों के भवन की स्थिति

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कम से कम तीन कमरों के भवन की आवश्यकता होती है। जिसमें एक रसोई, एक स्टोर तथा एक बच्चों के बैठने का कमरा सम्मिलित है।

- अधिकांश केन्द्रों पर केवल एक ही कमरे की व्यवस्था है, जिसमें पोषाहार व अन्य सामान रखा जाता है तथा बच्चों के बैठने की व्यवस्था खुले में की जाती है।

- अधिकांश आँगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालयों की व्यवस्था का भी अभाव है।

- आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कम से कम तीन कमरों के भवन की आवश्यकता होती है। जिसमें एक रसोई, एक स्टोर तथा एक बच्चों के बैठने का कमरा सम्मिलित है।

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर शिक्षण की स्थिति

- अधिकांश आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे पोषाहार लेने के समय केन्द्र पर आते हैं और पोषाहार लेकर तुरन्त चले जाते हैं।

- जिन आँगनबाड़ी केन्द्रों पर सहायिका व कार्यकर्त्ता मिडिल अथवा उच्च कक्षा पास हैं वहाँ केन्द्रों के संचालन में उतनी कठिनाइयां नहीं हैं जितनी कि उन केन्द्रों पर जहाँ कार्यकर्त्ता अथवा सहायिका दूसरी–पांचवी कक्षा पास हैं।

3. विभागीय स्तर पर समस्याएं–

आँगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन में विभागीय स्तर पर भी काफी कमियां पाई गईं जिनके कारण केन्द्र सही तरीके से संचालित नहीं हो रहे हैं।ये अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं :

- केन्द्रों पर सुपरवाइजर अथवा सी.डी.पी.ओ. द्वारा निश्चित समयावधि पर निरीक्षण नहीं किया जाता है।

- केन्द्रों की समस्याओं जैसे–पोषाहार का खराब होना, भवन संबंधी समस्या, समय पर सामग्री प्राप्त न होना, मानदेय प्राप्त न होना आदि का समाधान करने का प्रयास नहीं किया जाता है।

- केन्द्रों पर कार्यकर्त्ता अथवा सहायिकाओं की शिकायतें रहती हैं कि सुपरवाइजर उनको पूरा मानदेय नहीं देती है अथवा मानदेय में से कुछ राशि स्वयं रख लेती है।
- विभाग द्वारा आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं व सहायिकाओं का वेतन समय पर नहीं दिया जाता है।
- अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि पोषाहार की सामग्री लाने के लिए व्यय की जाने वाली राशि कार्यकर्त्ता अथवा सहायिका स्वयं के पास से लगाती हैं, जिसका भुगतान भी विभाग समय पर नहीं करता है, कार्यकर्त्ता अथवा सहायिका को सामग्री दुकानदार से उधार भी नहीं मिलती। विभाग के अधिकारी कार्यकर्त्ता अथवा सहायिकाओं की समस्याओं के निवारण के स्थान पर उदासीन रवैया अपनाते हैं।
- सिरोही विधानसभा क्षेत्र के गोयली, माण्डवा, सरवाटा, उड़, बरलूट के आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्त्ता अथवा सहायिका के द्वारा विभागीय कमियों के बारे में बात करने पर उन्हें सुपरवाइजर अथवा सी.डी.पी. ओ. का दुर्व्यवहार व दबाव झेलना पड़ता है।

4. सामुदायिक अथवा ग्रामीण स्तर पर समस्याएं–

- सर्वे के दौरान जानकारी मिली कि सिरोही विधानसभा क्षेत्र के केन्द्र माण्डवा तथा टोंक जिले के देवली विधानसभा क्षेत्र के केन्द्र चन्दवाड़ में गांवों के असामाजिक लोग शराब आदि पीकर केन्द्र पर आ जाते हैं, उत्पात मचाते हैं, जुआ खेलते हैं तथा कार्यकर्त्ता व सहायिका को परेशान करते हैं।
- सिरोही विधानसभा क्षेत्र के केन्द्र गोल, माण्डवा, टोंक जिले के देवली विधानसभा क्षेत्र के केन्द्र चन्दवाड़ के शौचालय का गांव के लोग सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करके उसे गंदा करके छोड़ देते हैं। इस कारण शौचालय केन्द्र के इस्तेमाल करने लायक नहीं रहते। समुदाय के लोग शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ भी नहीं करवाते हैं।
- सिरोही विधानसभा क्षेत्र के केन्द्र गोल ,माण्डवा तथा टोंक जिले के देवली विधानसभा क्षेत्र चन्दवाड़, जूनिया, गांवड़ी, सीतारामपुरा आदि आँगनबाड़ी केन्द्र खुले में चलने के कारण वहाँ आवारा पशुओं की आवाजाही रहने व मलमूत्र आदि करने से भी केन्द्रों के संचालन में कठिनाइयां आती हैं।
- समुदाय के लोग बच्चों को केन्द्र पर लाने ले जाने में भी सहयोगात्मक भूमिका नहीं निभाते हैं। सहायिका यदि बच्चों को घर पर आकर ले भी जाती है तो समुदाय के लोगों की उससे अपेक्षा होती है कि पीछे से जब वे काम पर चले जाते हैं तो सहायिका या तो उनके काम से लौटने तक बच्चों को केन्द्र पर ही रखे नहीं तो उनके काम के स्थान(खेत आदि) पर छोड़कर आए जो कि सहायिका के लिए संभव नहीं होता है।
- टोंक जिले के देवली विधानसभा के बड़ोली ग्राम पंचायत के समुदायों में गांव के युवाओं द्वारा केन्द्र पर पत्थर फेंकने, सामान से छेड़छाड़ करने जैसी समस्याएं भी कार्यकर्त्ताओं व सहायिकाओं से सुनने को मिली हैं।
- टोंक जिले के देवली विधानसभा क्षेत्र के मालेड़ा समुदाय के लोगों की जातिवादी विचारधारा के कारण भी कार्यकर्त्ता व सहायिका को काफी विरोधी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे समुदाय की जाति की न होकर अन्य जाति की हैं।

1. केस स्टडी

बीसलपुर केस स्टडी

ग्राम : बीसलपुर ग्राम पंचायत : राजमहल ब्लॉक : देवली जिला : टोंक

ग्राम बीसलपुर, ग्राम पंचायत राजमहल, ब्लॉक देवली व जिला टोंक में स्थित है। बीसलपुर गांव में लगभग 200 परिवार हैं जिनकी आबादी करीबन 1200–1500 की है। बीसलपुर बांध बनाने के लिए गांव के डूबत क्षेत्र में आने के कारण सरकार द्वारा इन लोगों को गांव से विस्थापित कर नए स्थान पर बसाने के लिए मुआवजा राशि अथवा जमीन देने का प्रस्ताव रखा। गांव के लोगों को जमीन के स्थान पर राशि लेना उचित लगा लेकिन उन्होंने जमीन लेने के स्थान पर मुआवजा राशि ले ली व बांध के पास ही बस गए।

गांव पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी में गिना जाता है। यह बीसलपुर बांध से एक किलोमीटर दूर है। यातायात के साधन सीमित हैं, जिसके कारण गांव में अनावश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। गांव सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं से पूर्णतः वंचित है। गांव में 0–6 वर्ष के 70 बच्चे हैं लेकिन आंगनबाड़ी केन्द्र गांव से दूर स्थित होने के कारण बच्चे उसके लाभों जैसे :– टीकाकरण, वजन माप, पोषाहार वितरण, स्वास्थ्य जांच आदि से वंचित हैं। राशन डीलर भी गांव से 12 किमी. दूर पड़ता है। यातायात के साधन सीमित होने के कारण राशन प्राप्त करने में कठिनाइयां आती हैं। राशन कार्ड बनवाने में सचिव को रूपये देने संबंधी शिकायतें भी गांव वालों से सुनने को मिली हैं।

गांव में शिक्षा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। शिक्षा संबंधी सरकारी योजनाएं गांव तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। सरकारी विद्यालय गांव से 12 किमी. दूर है जिसके कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते और मजदूरी आदि कार्यों में लगे हुए हैं। गांव में रोजगार के साधनों का अभाव होने के कारण गांव के लोगों को रोजी रोटी के लिए शहरों की ओर रूख करना पड़ रहा है।

गांव में स्वास्थ्य केन्द्र की भी कोई व्यवस्था नहीं है इस कारण गांव के लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए देवली के सरकारी चिकित्सालय भागना पड़ता है।

2. केस स्टडी

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सड़ा हुआ पोषाहार

बाल विकास परियोजना सिरोही के आंगनबाड़ी केन्द्रों गोयली, माण्डवा, सरवाटा, उड, बरलूट में सर्वे के दौरान स्टॉक में काफी पोषाहार स्टॉक में सड़ता हुआ पाया गया जिसमें बारिश का पानी लगने से कीड़े पड़ गए तथा आस पास का वातावरण दुर्गन्ध युक्त हो गया है। अध्ययन के दौरान कार्यकर्त्ताओं ने माडण्वा, उड़, गोयली, सरवाटा व बरलूट केन्द्रों पर लगभग 150 से 200 बोरियां (प्रत्येक केन्द्र पर) में पिछले चार पाँच वर्ष पुराना सड़ा हुआ पोषाहार पड़ा हुआ देखा है। सड़े हुए पोषाहार के कारण केन्द्रों का वातावरण दुर्गन्धयुक्त हो रहा था। जिसके कारण गांव के लोग बच्चों को केन्द्रों पर नहीं भेजते। सर्वेकर्त्ता को इन केन्द्रों पर 10 से 15 बच्चे ही उपस्थित मिले। केन्द्रों की कार्यकर्त्ता व सहायिकाओं का कहना है कि सड़े हुए पोषाहार की जानकारी सुपरवाइजर व सी.डी.पी.ओ. को कई बार दी जा चुकी है, परन्तु वे ना तो जांच के लिए आते हैं और ना ही कोई कार्रवाई करते हैं। पोषाहार के कमरों पर ताला भी सुपरवाजरों ने ही लगवाया है।साथ ही कमरों को नहीं खोलने देने के लिए भी सख़्त निर्देश दिए हुए हैं। सड़े हुए पोषाहार के कारण केन्द्रों पर निम्न समस्याएं आ रही हैं :–

- आंगनबाड़ी केन्द्र माडंवा पर मात्र एक ही कमरा हैं, जिसमें लगभग 150 बोरी पोषाहार पिछले पांच वर्षों से रखा हुआ है, जो बारिश में भीगने से सड़ गया। जिसमें फफूंद व कीड़े लगने के कारण दुर्गन्ध आ रही थी। भोजन के अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि सड़े हुए पोषाहार के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करने के पश्चात् तीन माह के भीतर उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। परन्तु केन्द्र पर इस सड़े हुए पोषाहार पर कोई कार्यवाई नहीं की गई है।
- केन्द्र का वातावरण दुर्गन्ध युक्त होने के कारण ए.एन.एम. भी स्वास्थ्य परीक्षण हेतु केन्द्र पर नहीं आती तथा स्वास्थ्य केन्द्र पर ही स्वास्थ्य परीक्षण कर लेती है।
- सरवाटा ग्राम पंचायत में गांव के लोग सुपरवाइजर व सी.डी.पी.ओ. से बहुत नाराज हैं। सड़े हुए पोषाहार की शिकायत कई बार सुपरवाइजर, सी.डी.पी.ओ. व उपनिदेशक को की जा चुकी है, परन्तु शिकायत करने के बाद से ही उन्होंने केन्द्रों पर निरीक्षण के लिए आना बन्द कर दिया।
- उड़ गांव के केन्द्र पर भी पिछले पांच वर्षों से सड़ा हुआ पोषाहार कमरे में पड़ा हुआ है। बैठने की व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चे कमरे के पास बनी हुई गैलरी में बैठते हैं। पोषाहार में लगे हुए कीड़े कमरे से बाहर आ जाते हैं तथा बच्चों को काट लेते हैं। इसी कारण बच्चों के माता पिता ने बच्चों को केन्द्रों पर नहीं भेजते हैं।
- आंगनबाड़ी केन्द्र बरलूट में स्थानीय राशन डीलर द्वारा 21 बोरी(21 क्विंटल) सड़ा हुआ अनाज रख रखा था जोकि सर्वेक्षण के दौरान डीलर द्वारा वहां से हटा कर अन्यत्र जगह रखवा दिया।
- गोयली आंगनबाड़ी केन्द्र का सड़ा हुआ पोषाहार वहां के पंचायत भवन पर रखा हुआ था। जिसे सर्वेक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र मांडवा में रखवा दिया गया।

3. केस स्टडी

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता की सक्रियता

टोंक जिले के देवली ब्लॉक की ग्राम पंचायत जूनिया के आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यकर्त्ता छोटां देवी (38 वर्ष) 8वीं पास है। ये पिछले 14 वर्षों से केन्द्र पर काफी सक्रियता से कार्य कर रही है। अध्ययन के दौरान गांव के लोगों ने बताया कि छोटां देवी गांव की धात्री महिलाओं, बच्चों व किशोरियों के लिए तो कार्य करती ही है, साथ ही गांव के अन्य लोगों भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, निर्धन लोगों के लिए संचालित सभी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने, आवेदन करवाने तथा योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए स्वयं के स्तर पर भागदौड़ करती है। गांव के लोग उसकी केन्द्र को दी जाने वाली सेवाओं तथा ग्रामीणों के दिये जाने वाले सहयोग से काफी प्रभावित हैं। गांव के विकास के लिए कार्यकर्त्ता काफी संघर्ष कर रही है।

इस गांव में दो–तीन निजी विद्यालय होने की वजह से गांव के 3 से 6 वर्ष के बच्चे भी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ना जाकर इन निजी विद्यालयों पर पढ़ने जाते हैं। जिससे इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति कम रहती है।

4. केस स्टडी

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता की निष्क्रियता

ग्राम पंचायत : गाजुवास **ब्लॉक : तारानगर** **जिला : चुरू**

ग्राम पंचायत गाजुवास में कुल तीन आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं। अध्ययन के दौरान पता चला कि तीनों ही आंगनबाड़ी केन्द्र खुलते ही नहीं है। सर्वे के दौरान तीनों आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द पाए गए। गांव के लोगों से केन्द्रों के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि तीनों में से एक केन्द्र की कार्यकर्त्ता सुमन कंवर की उच्च अधिकारियों तक पहुंच होने के कारण वह कभी भी केन्द्र नहीं खोलती और केन्द्र पर जब भी कोई निरीक्षण अथवा जांच आने वाली होती है तो उसे पूर्व में ही पता चल जाता है तथा वह केन्द्र पर आ जाती है। गांव वालों ने यह भी बताया कि वह केन्द्र पर आने वाले पोषाहार को अपने घर ले जाती है तथा निजी काम में लेती है। आंगनबाड़ी में नामांकित बच्चे गांवों में चलने वाले स्कूलों में जाते हैं। कार्यकर्त्ता केन्द्र पर न जाकर महिला बाल विकास, तारानगर के ऑफिस पहुंच जाती है तथा वहां पर झूठी रिपोर्ट लगा देती है।

सुमन कंवर को देखकर अन्य दोनों आंगनबाड़ियों की कार्यकर्त्ता भी केन्द्र नहीं खोलती और पोषाहार को अपने घर पर ले जाती हैं। केन्द्रों पर बच्चों को पर्याप्त पोषाहार वितरित नहीं किया जाता । सर्वे के दौरान केन्द्र की कार्यकर्त्ता ने अपने पति के प्रभाव का प्रयोग कर अध्ययनकर्त्ता द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को समाप्त करने के लिए दबाव डालने का प्रयास किया।

❑❑❑